



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2000/ ज्येष्ठ 4, 1922

No. 63]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2000/JYAISTHA 4, 1922

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2000

सं. एल-7/20(1)/99-सी. ई. आर. सी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 94 तथा 110 के साथ पठित विनियम 74 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी सहायक शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित आदेश जारी करता है :—

### 1. संक्षिप्त वार्षिक और प्रारंभ

(i) इस आदेश को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ताप विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना) आदेश, 02 / 2000 कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश तत्काल प्रभाव में लागू होगा।

(iii) इस आदेश में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998, भारतीय विजली अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में परिभाषित है।

### 2. ताप-विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन प्रत्येक ताप-विद्युत उत्पादन कंपनी और एक से अधिक राज्य में विद्युत के उत्पादन एवं विक्रय हेतु संयुक्त स्कीम के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण से बाहर ताप-विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा उसके नियंत्रणाधीन सभी ताप-विद्युत केन्द्रों के संबंध में प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट की मात प्रतियां एवं एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत करनी होगी जिसमें संलग्न अनुसूची में यथानिर्दिष्ट रूप में विवरण दिया जाएगा।

तथापि, चालू वित्तीय वर्ष से पहले के पाँच वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/150/2000]

संजीव एस. अहलुवालिया, सचिव

भाग - 1खंड - 1 : वार्षिक रिपोर्ट पूर्ण करने के लिए निर्देश

1. वार्षिक रिपोर्ट आगे दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी और उसमें अपेक्षित विवरण, संलग्न अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट में निहित सभी निर्धारित फार्म सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए। तथापि, आवश्यक होने पर आयोग विद्युत उत्पादन कंपनी को अतिरिक्त सूचना/सहायक दस्तावेज/आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।
2. फार्मों / अनुसूचियों में केवल अरबी अंक उपबोध किए जाएंगे। जहां अन्यथा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसका छोड़कर सभी आंकड़े दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किए जाएंगे।
3. ऋणात्मक राशियों और आंकड़ों को कोष्ठक में उपयुक्त चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा।
4. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, प्रत्येक विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने समय सभी विवरण, आयोग द्वारा निर्धारण के अनुसार दिए जाएंगे चाहे वे विवरण पूर्व में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने समय उपलब्ध कराए गए हों।
5. किसी शीर्ष के अंतर्गत अपेक्षित विवरण संबंधित विद्युत उत्पादन कंपनी के मामले में लागू न होने की स्थिति में उन्हें "लागू नहीं" शब्दों से दर्शाया जाएगा।
6. तारीखों का दिन/मास/वर्ष के रूप में इंगित किया जाएगा।
7. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में संशोधन की अवस्था में वार्षिक रिपोर्ट के केवल संशोधित पृष्ठ पुनः प्रस्तुत किए जाएंगे। संशोधन वाले पृष्ठों की सात प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी और प्रत्येक पृष्ठ पर लाल मुहर से इंगित किया जाएगा कि वह प्रथम, द्वितीय आदि संशोधन है। पुनः प्रस्तुत ऐसे सभी पृष्ठों पर पुनः प्रस्तुत करने की तारीख दी जाएगी और मूल वार्षिक रिपोर्ट वाली पृष्ठ संख्या दी जाएगी तथा बाद में अपेक्षित अनुलग्नक संलग्न किए जाएंगे। अंग्रेषण पत्र में संशोधन की प्रकृति तथा उसका कारण दर्शाते हुए पत्र के साथ पुनः प्रस्तुत पृष्ठों का विवरण एवं पृष्ठों की कुल संख्या संबंधी सूची संलग्न की जाएगी। तथापि, आयोग उपयुक्त समझने पर संबंधित विद्युत उत्पादन कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट पूर्ण रूप में पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
8. विशेष परिस्थितियों का छोड़कर आयोग निर्धारित प्रक्रिया से विपथन की अनुमति नहीं देगा। यदि किसी कारणवश विद्युत उत्पादन कंपनी को निर्धारित प्रक्रिया से अलग कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है तो उक्त विपथन के कारणों को विस्तृत औचित्य सहित स्पष्ट रूप से आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

9. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े, सूचना, सहायक दस्तावेज एवं साक्ष्य सुस्पष्ट, संगत तथा तथ्यपूर्ण होने चाहिए । कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना स्पष्ट एवं तथ्यपरक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को उसके द्वारा विभिन्न अनुसूचियों में दी गई सूचना/आंकड़ों और सहायक साक्ष्य के बीच पारस्परिक संबंध सुनिश्चित करना होगा । विभिन्न फार्मों में निहित व्यौरों के साक्ष्य में विस्तृत गणना जहां विशेष रूप से अपेक्षित हो या अन्यथा वांछनीय हो, अनुबंधों के रूप में संलग्न की जाए ।

10. अनुबंधों में दिए विवरण अत्रित सभी प्रकार के वित्तीय आंकड़े, सूचना आदि प्रमाणित होने चाहिए अर्थात् रख-रखाव की जा रही लेखा - पुस्तिकाओं तथा अन्य रिकार्डों पर आधारित और कंपनी की सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा सत्यापित होने चाहिए । लागतों संबंधी सभी प्रकार के आंकड़े और सूचना तथा आवंटन एवं संविभाजन प्रक्रिया किसी व्यावसायिक लागत-लेखाकार द्वारा सत्यापित एवं सही होने चाहिए और लागत-आवंटन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं तर्कसंगत होनी चाहिए ।

11. हालांकि प्रत्येक फार्म में आवंटन प्रक्रिया एवं सामान्य नैगम ( मुख्यालय सहित ) खर्चों हेतु आवंटित राशि, निर्माण एवं प्रचालन परियोजनाओं के अन्य सामान्य खर्चों, विदेशी मुद्रा संबंधी भिन्नताओं, अन्तः केन्द्र अंतरणों, निर्माण के दौरान पूंजीगत ब्याज आदि जैसी मदों के बारे में आंकड़े, सूचना आदि पूरी तरह एवं स्पष्ट रूप से देने अपेक्षित हो सकते हैं तथापि, सभी फार्मों के मामले में जहां भी प्रासंगिक एवं लागू हो, इस अनुदेश को सामान्य नियम माना जा सकता है ।

12. किसी क्षेत्र ( उगी क्षेत्र में विभिन्न प्रणालियों ) से संबंधित मासिक वार्षिक रिपोर्ट तथा पिछली रिपोर्ट में महत्वपूर्ण भिन्नता पाए जाने पर या अपेक्षित होने पर स्पष्टीकरण एवं उनके कारण दिए जाएंगे । प्रतिकूल कार्य-निष्पादन या लागत संबंधी विकृति को नियंत्रित, निष्प्रभावी, प्रतिसन्तुलित या निरादेशित करने हेतु किए गए उपायों का भी विवरण दिया जाएगा ।

13. प्रत्येक फार्म में दिए गए विशिष्ट निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा । जब तक इस आदेश में विशेष रूप से उल्लेख न किया जाए, विद्युत क्षेत्र से संबंधित आम इस्तेमाल होने वाले मापन मात्रकों अथवा विभिन्न मदों को व्यक्त करने वाले प्रारूपों का उपयोग किया जाना चाहिए ।

खंड - II : प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज

प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित फार्मों / अनुभवियों के अलावा, वार्षिक रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, यदि वे किसी पिछली वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए हों और उनमें कोई परिवर्तन न हो तो इन्हें संलग्न करना जरूरी नहीं है :-

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति सहित मूल लागत तथा संशोधित लागत के लिए तकनीकी - आर्थिक स्वीकृति ।
2. उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित इंजीनियरी, प्रापण एवं निर्माण करारों, ईंधन आपूर्ति करार और विद्युत खरीद करारों तथा उनमें संशोधनों की प्रति ।
3. परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृतियों और रूपए एवं विदेशी मुद्रा में ऋणों सहित वित्त-पोषण हेतु अनुमोदित स्कीम के संबंध में नोडल मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त स्वीकृतियों एवं उनमें संशोधनों की प्रति ।
4. वार्षिक रिपोर्ट में यथा संदर्भित अधिसूचना, मानक या अन्य दस्तावेज की प्रति ।
5. विद्युत संयंत्र के संबंध में तुलन-पत्र, लाभ - हानि लेखा और सभी महत्वपूर्ण गणनाओं तथा लेखों पर टिप्पणियों एवं लेखा - परीक्षक के प्रमाण-पत्र के पूरे सेट की प्रति ।
6. मेगावाट भार ( लोड ) की तुलना में ऊष्मा दर की भिन्नता दर्शाने वाली प्रत्याभूत टर्बाइन चक्र ऊष्मा दर सहित पूर्ण कार्य-निष्पादन स्थिति और संशोधन स्थिति ।
7. निम्नलिखित को सुनिश्चित करने हेतु विद्युत संयंत्र के सभी यूनितों के संबंध में प्रत्याभूत कार्य-निष्पादन परीक्षण रिपोर्टों की प्रति :- मेगावाट में प्रदर्शित क्षमता, किलो कैलोरी/किलो वॉट प्रति घंटा में सकल ऊष्मा दर, यदि लागू हों तो क्रमशः यूनित के 100 % , 80 % , 60 % तथा 50 % एम.सी.आर. पर विद्युत संयंत्र के विभिन्न अवयवों की अतिरिक्त विद्युत खपत ।

**खंड - III : परिभाषाएं :**

इस आदेश में उल्लिखित शब्दों या अभिव्यक्तियों जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसाकि अधिनियम में है, जब तक कि वे मूल पाठ के असंगत न हों। रिपोर्ट संबंधी इन अपेक्षाओं में इस्तेमाल किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों जिन्हें न तो इन अपेक्षाओं में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है बल्कि भारतीय विजली अधिनियम, 1910 या विद्युत ( प्रदाय ) अधिनियम, 1948 में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः इन अधिनियमों में है अथवा आयोग द्वारा किसी संशोधन में है, बशर्ते वे मूल पाठ के असंगत न हों।

**संक्षेपण - सूची जो प्रयोग में लाए गए**

( क )	सी	-	डिग्री सेंसियस
( ख )	एच. जेड	-	हार्टज . अथवा साईक्लस प्रति सैकेंड
( ग )	कि. कैलो.	-	किलो-कैलोरीज
( घ )	शा.	-	ग्राम
( ङ. )	कि. शा.	-	किलोग्राम
( च )	कि. वा.	-	किलो वाट
( छ )	कि. वा. प्र. घं.	-	किलो वाट प्रति घंटा
( ज )	ली.	-	मीटर

31 मार्च को समाप्ति का वित्तीय वर्ष ( झ ) : मि. यू. - मिलियन यूनिट

( ट )	मे. वा.	-	मेगावाट
( ठ )	मी. ट.	-	मीट्रिक टन
	रु.	-	रुपए
( ड )	सी. सी. टी. यू.	-	संयुक्त साइकिल ज्वलन टर्बाइन

अधिनियम से तात्पर्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 ( 1998 का अधिनियम - 14 ) है।

**अतिरिक्त ऊर्जा उपभोग :** यह किसी अवधि के संदर्भ में जनरेटर ( जनरेटरों ) के टर्मिनलों पर किलोवाट प्रति घंटा में उपलब्ध कुल ऊर्जा घंटा स्विचयार्ड पर किलोवाट प्रतिघंटा में सप्लाई की गई निवल ऊर्जा और जनरेटर ( जनरेटरों ) के टर्मिनलों पर किलोवाट प्रति घंटा में उत्पादित सकल ऊर्जा का प्रतिशत में अनुपात है।

**उपलब्ध क्षमता -** यह निर्धारण अवधि ( सैटनमेंट पीरियड ) के संदर्भ में ( क ) स्विचयार्ड पर सप्लाई की गई या ( पृष्ठ पोषण ) ( बैकिंग लाइन ) की अवस्था में सप्लाई की जानी मानी गई विद्युत और ( ख ) अतिरिक्त उपभोग का योग है। संयुक्त साइकिल ज्वलन टर्बाइन ( सी. सी. टी. यू. ) विद्युत उत्पादन केन्द्रों के मामले में इसकी निर्धारण अवधि के दौरान औसत ड्राई बन्व तापमान के संदर्भ में गणना की जाएगी।

व्यावसायिक प्रचालन तारीख ( सी.ओ.डी. ) - यह किसी यूनिट या मोड्यूल के संदर्भ में वह तारीख है जब स्थिरीकरण सहित सफल परीक्षण प्रचालन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मानकों या संहिताओं के अनुसार स्वीकार्य कार्य-निष्पादन परीक्षण के माध्यम से अधिकतम सतत रेटिंग ( एम.सी.आर. ) या स्वीकार्य प्रतिष्ठापित क्षमता सुनिश्चित की जाती है । किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की व्यावसायिक प्रचालन तारीख, अंतिम यूनिट या मोड्यूल जैसी भी स्थिति हो, की व्यावसायिक प्रचालन तारीख में मानी जाएगी ।

आयांग : इसमें तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत गठित " केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयांग " है ।

अभिकल्पित विद्युत उत्पादन - इसमें तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसका उत्पादन करने में कोई यूनिट/विद्युत उत्पादन केन्द्र सक्षम ना है परन्तु जनरेटर के नियंत्रण में बाहर ग्रिड परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाता और वह ऊर्जा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए ।

अभिकल्पित संयंत्र भार अनुपात - यह किसी यूनिट / विद्युत उत्पादन केन्द्र की प्रचालन अवधि के संदर्भ में प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त निम्नलिखित का अनुपात है :-

- ( क ) जनरेटर के टर्मिनलों पर उपलब्ध ऊर्जा ( किलोवॉट प्रति घंटा ) एवं अभिकल्पित विद्युत उत्पादन के योग ; और
- ( ख ) किलोवॉट में प्रतिष्ठापित क्षमता एवं संबंधित अवधि में घंटों की संख्या का अनुपात ।

प्रदर्शित क्षमता - भाप विद्युत केन्द्र : यह किसी यूनिट के संदर्भ में स्थिरीकरण सहित सफल परीक्षण प्रचालन के बाद ए. एम.एम.ई. - पी.टी.सी. 6 जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संहिताओं के अनुसार कार्य-निष्पादन संबंधी स्वीकार्य परीक्षण के दौरान जनरेटर के टर्मिनलों पर निर्धारित पैरामीटरों के अनुसार प्रदर्शित विद्युत उत्पादन है ।

संयुक्त साइकिल ज्वलन टर्बाइन विद्युत उत्पादन केन्द्र : यह किसी यूनिट या मोड्यूल के संदर्भ में सफल परीक्षण प्रचालन के बाद आई.एम.ओ. - 2314 / ए.एम.एम.ई. पी.टी.सी. - 22 के अद्यतन रूपान्तरों के अनुसार कार्य-निष्पादन संबंधी स्वीकार्य परीक्षण के दौरान जनरेटर के टर्मिनलों पर प्रदर्शित और "एम.सी.आर." की परिभाषा में परिकल्पना के अनुसार 50 हर्ट्ज ग्रिड आवृत्ति एवं स्थल संबंधी परिस्थितियों के अनुरूप उपलब्ध कराया गया विद्युत उत्पादन है ।

जवरन बन्दी ( आउटेज ) :- किसी विचाराधीन अवधि के संदर्भ में यह किसी यूनिट को अनियोजित रूप में बंद रखने की वास्तविक समय अवधि है ।

विद्युत उत्पादन केन्द्र :- इससे तात्पर्य भाप विद्युत केन्द्र के संदर्भ में "यूनिट तथा शेष संयंत्र " से है और संयुक्त साइकिल ज्वलन टर्बाइन उत्पादन केन्द्र के संदर्भ में " संयुक्त साइकिल ज्वलन टर्बाइन मोड्यूल ( मोड्यूलों ) एवं शेष संयंत्र " से है ।

ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या "जी.सी.वी." :- यह आई.एम.: 1350 ( भाग - 2 ) अथवा आई.एम.: 1448 ( पी: 6 ) के अनुसार एक ( 1 ) किलोग्राम ठोस ईंधन अथवा तरल ईंधन या एक ( 1 ) मानक क्यूबिक मीटर ( एम.एम. 3 ) गैसीय ईंधन के पूर्ण ज्वलन से किलो कैलोरी में उत्पन्न ऊष्मा है ।

टिप्पणी : कोयले या लिग्नाइट ईंधन के मामले में ईंधन की खपत का निर्धारण करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए ईंधन की जी.सी.वी. की गणना के लिए प्राप्त ईंधन की जी.सी.वी. में 100 किलो कैलोरी/किलोग्राम की कमी की जाएगी ।

सकल ऊष्मा दर ( ग्रॉस हीट रेट ) या जी.एच.आर. : यह यूनिट अथवा ब्लॉक या विद्युत उत्पादन केन्द्र से जनरेटर के टर्मिनलों पर एक किलोवाट प्रति घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने हेतु यूनिट या मोड्यूल अथवा विद्युत उत्पादन केन्द्र में किलो कैलोरी में उपयोग की गई ऊष्मीय ऊर्जा है ।

नियोजित बन्दी ( आउटेज ) अवधि : यह विचाराधीन अवधि के संदर्भ में किसी यूनिट अथवा मोड्यूल या विद्युत उत्पादन केन्द्र का अनुसंधान कार्य हेतु नियोजित रूप से बंद रखने की वास्तविक समय अवधि है । संयंत्र भाग अनुपात ( पी.एन.एफ. ) - यह किसी अवधि के संदर्भ में प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित का अनुपात है:-

- ( क ) जनरेटर के टर्मिनलों पर किलोवाट प्रति घंटा में कुल उत्पादन और ;
- ( ख ) किलोवाट में प्रतिष्ठापित क्षमता एवं संबंधित अवधि में घंटों की संख्या के गुणनफल का अनुपात ।

संयंत्र की कार्य अवधि : समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना सं. 265 ( ई ) दिनांक 29 मार्च, 1994 के अनुसार ।

कार्यवाही : इसमें तात्पर्य सभी प्रकार की वह कार्यवाही है जो आयोग अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यकलापों के निष्पादन के लिए करता है ।

निर्धारित क्षमता : यह भाप विद्युत केन्द्र के संदर्भ में किसी यूनिट के एम.सी.आर. और संबंधित विद्युत उत्पादन केन्द्र में यूनिटों की संख्या का गुणनफल है । संयुक्त साइकिल ज्वलन टर्बाइन विद्युत उत्पादन केन्द्र के संदर्भ में यह मोड्यूल या ब्लॉक के एम.सी.आर. और मोड्यूलों या ब्लॉकों की संख्या का गुणनफल है ।

सकल विद्युत उत्पादन पर आधारित विशिष्ट ईंधन उपभोग : यह जनरेटर के टर्मिनलों पर एक किलोवॉट प्रति घंटा ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु अपेक्षित ईंधन की मात्रा है ।

निर्धारण अवधि : यह एक घंटा अथवा अन्य पारस्परिक सम्मत अवधि है जिसके दौरान उपलब्ध क्षमता को स्थिर क्षमता और उक्त अवधि के दौरान औसत क्षमता के बराबर माना जाएगा ।

यूनिट : इससे तात्पर्य भाप विद्युत केन्द्र के संदर्भ में भाप जनरेटर - टर्बाइन जनरेटर एवं सहायक उपस्कर हैं और संयुक्त साइकिल ज्वलन टर्बाइन विद्युत उत्पादन केन्द्र के संदर्भ में ज्वलन टर्बाइन- जनरेटर एवं सहायक उपस्कर हैं ।

प्रतिष्ठापित क्षमता : इसे विद्युत उत्पादन केन्द्र में यूनिटों की निर्धारित क्षमता या प्रदर्शित क्षमता के योग जो भी कम हो, के रूप में व्यक्त किया जाता है ।

अधिकतम स्तन निर्धारण ( एम.सी.आर. ) : यह भाप विद्युत केन्द्र के यूनिट के संदर्भ में निर्माता द्वारा आई.ई.सी. 45 के अनुसार निर्धारित पैगामीटरों के अनुरूप जनरेटर टर्मिनलों पर प्रत्याभूत ( सुनिश्चित ) अधिकतम स्तन विद्युत उत्पादन है । संयुक्त साइकिल ज्वलन टर्बाइन विद्युत उत्पादन केन्द्र के यूनिट या मोड्यूल के संदर्भ में यह आई.एस.ओ. - 2314 तथा आई.एस.ओ. - 3977 में संदर्भित शर्तों और 50 हटर्ज नक शुद्ध ग्रिड आवर्तिता एवं स्थल संबंधी शर्तों के अनुरूप जल/भाप व्यवस्था सहित निर्माता द्वारा जनरेटर के टर्मिनलों पर सुनिश्चित अधिकतम स्तन विद्युत उत्पादन है ।

स्पष्टीकरण :- स्थल संबंधी शर्तों में वार्षिक औसत शुष्क बल्व तापमान, वार्षिक औसत सापेक्ष नमी, स्थल का वायुमंडलीय दाब और अत्यधिक प्रतिकूल संवागी ( सर्कुलेंटिंग ) जल वाहिका तापमान निहित हैं ।

मोड्यूल : इसमें संयुक्त साइकिल ज्वलन टर्बाइन विद्युत उत्पादन केन्द्र के संदर्भ में ज्वलन टर्बाइन-जनरेटर, सम्बद्ध अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी वॉयलर, सम्बद्ध भाप निहित हैं ।

टर्बाइन : जनरेटर तथा सहायक उपस्कर ।

निवल कैलोरीफिक मूल्य ( एन.सी.वी. ) : यह सकल कैलोरीफिक मूल्य और 1 कि.ग्रा. ठोस ईंधन या तरल ईंधन अथवा एक मानक क्यूविक मीटर गैस ईंधन के पूर्ण ज्वलन में कुल नमी के कारण ऊष्मा की हानि का अंतर है तथा इसे लागू मानकों के अनुसार "किलो कैलोरी" / कि.ग्रा. या एस एम 3 के रूप में " के रूप में व्यक्त किया जाता है ।

निवल ऊष्मा दर ( एन.एच.आर. ) : यह स्विचयार्ड प्वाइंट पर एक किलोवॉट प्रतिघंटा विद्युत उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए यूनिट या मोड्यूल या विद्युत उत्पादन केन्द्र में उपयोग की गई किलो कैलोरी में ऊष्मीय ऊर्जा है ।



प्रचालन तथा अनुरक्षण ( ओ. एण्ड एम . ) व्यय : यह किसी अवधि के संदर्भ में जनशक्ति, फुटकर पुर्जा, उपभोज्य वस्तुओं ( जल सहित ) , बीमा एवं अतिरिक्त खर्चों सहित विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर होने वाला व्यय है ।

आंशिक भार ( लोड ) घटे :- यह विद्यागधीन अवधि के संदर्भ में सहायक उपकरणों में समस्याओं या अन्य किसी कारणवश प्रचालनाधीन यूनिट या मांड्यूल या विद्युत उत्पादन केन्द्र के उत्पादन ( मेगावाट ) में नियोजित या जवरन कमी की वास्तविक समयावधि है ।

याचिका : इससे तात्पर्य सभी याचिकाओं, आवेदनों, शिकायतों, अपीलों, उत्तरों, प्रत्युत्तरों, पृष्क सामग्री, अनुरोध - पत्रों, अन्य कागजातों एवं दस्तावेजों से है ।

भाग - IIपरिचय और संदर्भ

1.	आवेदक का वर्तमान नाम :
2.	आवेदक का पता :  शहर :  राज्य :  दूरभाष :  फैक्स ई -मेल  सम्पर्क व्यक्ति का नाम : दूरभाष सं.
3.	संस्था के निगमीकरण की तारीख :
4.	पंजीकरण संख्या :
5.	नाम या पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो इंगित करें :-  पूर्व नाम :  पूर्व पता :  परिवर्तन की तारीख :

6. इस वार्षिक रिपोर्ट में कवर किए गए विद्युत संयंत्रों के नाम :

	विद्युत संयंत्र का नाम	संकेत-चिन्ह	ईंधन का प्रकार
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

भाग - 111नैगम वित्तीय और प्रचालनात्मक वितरण

वार्षिक सूचना संबंधी अपेक्षाएं

कंपनी का नाम :

वित्तीय वर्ष :

वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत फार्मों, अनुसूचियों, सहायक दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची

कंपनी का नाम :

केम संख्या :

वित्तीय वर्ष :

फार्म संख्या	फार्मों का शीर्षक	पृष्ठ संदर्भ
000	सहायक साक्ष्यों की सूची ( सूचीबद्ध की जाए )  <u>नैगम</u>	
100	नैगम सामान्य सूचना	
101	31 मार्च की स्थिति के अनुसार नैगम तुलन-पत्र	
102	31 मार्च को समाप्त वर्ष से संबंधित नैगम लाभ-हानि लेखा	
103-ए	विद्युत केन्द्र के बंद रहने के संदर्भ में समग्र लाभ-हानि लेखा	
103-बी	विद्युत केन्द्र के बंद रहने के संदर्भ में समग्र परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	
104-ए	ऋणों और विद्युत केन्द्र द्वारा आवंटन का संक्षिप्त विवरण	
104-बी	वित्त एवं ब्याज प्रभारों और विद्युत केन्द्र द्वारा आवंटन का संक्षिप्त व्यौग	
104-सी	ऋणों संबंधी विस्तृत शर्तें एवं निबंधन	
105	सामान्य एवं नैगम लागत आवंटन प्रक्रिया का विवरण	
106	लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अनुसूचियों की सूची	

सहायक साक्ष्यों की सूची

कंपनी का नाम :

सं.	प्रस्तुत साक्ष्यों के संदर्भ/ विवरण	साक्ष्य सं.
-----	-------------------------------------	-------------

प्रत्येक प्रस्तुत साक्ष्य, संबंधित फार्म के अनुरूप होना चाहिए और इसके लिए तीन अंकों की संख्या दी जानी चाहिए जिसे साक्ष्य संख्या माना जाए ।

साक्ष्य सं. : X - X.x - 009 - अर्थात् अनुसूची - X , उप-खंड X.x, साक्ष्य सं. 009

0	उदाहरण : एम पी पी X X X को बॉयलर डिजाइन के लिए प्रदान की गई परामर्शी सेवाओं से संबंधित आय	12बी/01/005
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

## फार्म सं. 100 : नैगम सामान्य सूचना

वित्तीय वर्ष :	कंपनी का नाम
----------------	--------------

क्र. सं.	विवरण	साक्ष्य सं.
	नीचे दिए मामलों के संबंध में यदि विद्युत केन्द्र स्तर पर पूर्व में ब्यौरा न दिया गया हो तो उसे वार्षिक रिपोर्ट के भाग -2 के फार्म -1 में दें। विवरण स्पष्ट एवं यथार्थपरक होने चाहिए और उन्हें प्रश्न के अनुसार क्रम संख्या दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। जहां आवश्यक हो, "शून्य", "लागू नहीं" आदि इंगित करें।	
1.	<u>वित्तीय वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां और परिवर्तन</u>	
1.1	सरकारी निकायों से नई अधिसूचनाओं संबंधी वे संदर्भ जिन्हें कंपनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय महत्वपूर्ण तथा उनके कार्यकलापों के प्राथमिक समझा जाए। अधिसूचना का संक्षिप्त ब्यौरा दें और बताएं कि वह किस प्रकार आवेदक के कार्यों को प्रभावित करता है। संदर्भों का उल्लेख करें और साक्ष्यों सहित नई अधिसूचनाएं प्रस्तुत करें।	
1.2	निगमिकरण या स्वामित्व की नियमावली में परिवर्तन : प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सभी निर्माओं या समान संगठनों के नाम सहित स्वामित्व स्वरूप में सभी परिवर्तनों का उल्लेख करें।	
1.3	अन्य कानूनी परिवर्तन या कार्यवाही : महत्वपूर्ण कानूनी मामलों या आवेदक के अधिकारों में उन परिवर्तनों को बताएं जिनका कंपनी की राय में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय टैरिफ पर असर पड़ेगा।	
1.4	विचाराधीन संयंत्र से सम्बद्ध खरीद या बिक्री : निम्नलिखित विवरण दें - सम्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा, लेन-देन को प्राधिकृत करने वाले निकाय का नाम एवं प्राधिकृत करने संबंधी संदर्भ, खरीद संबंधी भुगतान या प्राप्ति के अलग-अलग ब्यौरे सहित राशि, जिस पार्टी के साथ लेन-देन हुआ हो, उसका विवरण आदि।	
1.5	संयंत्र या उसमें संबद्ध सुविधाओं में विस्तार ( नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित ) या कमी : फार्म - 101 में ( अचल सम्पत्तियों से संबंधित ) पूंजीगत व्यय में केवल उस प्रमुख वृद्धि या कमी का संक्षिप्त ब्यौरा दें जिनसे कंपनी की राय में प्रचालनात्मक दक्षता पर काफी प्रभाव पड़ता है।	

फार्म सं. 100 : ( जारी ) नैगम सामान्य सूचना

वित्तीय वर्ष :	कंपनी का नाम
----------------	--------------

क्र. सं.	विवरण	साक्ष्य सं.
	<p>नीचे दिए मामलों के संबंध में यदि विद्युत केन्द्र स्तर पर पूर्व में ब्यौटा न दिया गया हो तो उसे वार्षिक रिपोर्ट के भाग -2 के फार्म -1 में दें। विवरण स्पष्ट एवं यथार्थपरक होने चाहिए और उन्हें प्रश्न के अनुसार क्रम संख्या दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। जहां आवश्यक हो, "शून्य" "लागू नहीं" आदि इंगित करें।</p>	
1.6	<p>निर्माणाधीन नए यूनिट : चल रही परियोजनाओं की स्थिति के संदर्भ में उनके निर्धारित कार्यक्रम तथा प्राप्त प्रगति, परियोजना/अतिरिक्त यूनिट के विभिन्न चरणों के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीख आदि की जानकारी दे ताकि विभिन्न संयंत्र तुलना-पत्रों एवं लाभ-हानि लेखों में निर्माण परियोजनाओं पर व्यय के बारे में दी गई सूचना में सह-संबंध में सुगमता हो सके।</p>	
1.7	<p>पर्यावरणीय मामले : भाग- 11 के फार्म - 10 में अपेक्षानुसार विवरण दें।</p>	
1.8	<p>अन्य सामान्य सूचना जिसमें कंपनी की गय में टेंडर पर प्रभाव पड़ता हो तथा आयोग को जानकारी जरूरी हो।</p>	
2.	<p><u>लेखा संबंधी नीतियां और लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र।</u></p>	
2.1	<p>यदि पूर्व में न दिया हो, लेखा नीति और उसमें अलग कार्रवाई, यदि कोई हो, औचित्य सहित दें।</p>	
2.2	<p>यदि पूर्व में न दिया हो, लेखों पर टिप्पणियां दें।</p>	
2.3	<p>भाग - 1 के खंड - 1 के पैरा 10 में यथा संदर्भित लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र।</p>	



फॉर्म-101: 31 मार्च की स्थिति के अनुसार नैगम तुलन-पत्र					
वित्तीय वर्ष:		कम्पनी का नाम:			
निर्देश:- निम्नलिखित जानकारी सहित लेखा-परीक्षित नैगम तुलन-पत्र का संक्षिप्त विवरण दें:- (1) सभी विद्युत संयंत्रों से सीधे सम्बद्ध परिसम्पत्तियां/देयताएं और (2) नैगम स्तर पर परिसम्पत्तियां/देयताएं ।					
क्र० सं०	विवरण	सभी विद्युत संयंत्रों से सीधे सम्बद्ध परिसम्पत्तियां/देयताएं (लाख में) (1)	सामान्य नैगम परिसम्पत्तियां/देयताएं (विद्युत कारोबार) (लाख में) (2)	अन्य नैगम परिसम्पत्तियां/देयताएं (गैर-विद्युत कारोबार तथा अनाबंटनीय) (लाख में) (3)	सकल जोड़ (लाख में) (4=1+2+3)
1	निधियों के स्रोत				
2	शेयरधारियों की निधियां				
3	(क) शेयर पूंजी				
4	(ख) शेयर पूंजी जमा				
5	(ग) इक्विटी में समायोज्य भारत सरकार की निधि				
6	(घ) प्रारक्षित राशि तथा अधिशेष				
7	ऋण निधियां				
8	(क) रक्षित ऋण				
9	(ख) अनारक्षित ऋण				
10	मूल्यहास के सन्दर्भ में अग्रिम यदि कोई हो, से प्राप्त आय ।				
11	निधियों का उपयोग				
12	अचल पूंजी व्यय				
13	(क) सकल ब्लॉक				
14	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में मूल्य				
15	वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन				
	वित्तीय वर्ष के दौरान कमी/समायोजन				
16	वित्तीय वर्ष के अन्त में मूल्य				
17	(ख) संयोजित मूल्यहास				
18	वित्तीय वर्ष के आरंभ में मूल्य				
19	वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन				
20	वित्तीय वर्ष के दौरान कमी/समायोजन				
21	वित्तीय वर्ष के अन्त में मूल्य				
22	(ग) निवल ब्लॉक				

फार्म-101(जारी): 31 मार्च की स्थिति के अनुसार नैगम तुलन-पत्र					
वित्तीय वर्ष:		कम्पनी का नाम:			
निर्देश:- निम्नलिखित जानकारी सहित लेखा-परीक्षित नैगम तुलन-पत्र का संक्षिप्त विवरण दें:- (1) सभी विद्युत संयंत्रों से सीधे सम्बद्ध परिसम्पत्तियां/देयताएं और (2) नैगम स्तर पर परिसम्पत्तियां/देयताएं ।					
क्र० सं०	विवरण	सभी विद्युत संयंत्रों से सीधे सम्बद्ध परिसम्पत्तियां/ देयताएं (लाख में) (1)	सामान्य नैगम परिसम्पत्तियां/ देयताएं (विद्युत कारोबार) (लाख में) (2)	अन्य नैगम परिसम्पत्तियां/ देयताएं (गैर-विद्युत कारोबार तथा अनाबंटनीय) (लाख में) (3)	सकल जोड़ (लाख में) (4=1+2+3)
23	(घ) चल रहे पूंजीगत कार्य				
24	वित्तीय वर्ष के आरंभ में मूल्य				
25	वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन				
26	वित्तीय वर्ष के दौरान कमी/समायोजन				
27	वित्तीय वर्ष के अन्त में मूल्य				
28	(ड०) निर्माण संबंधी भण्डार सामग्री और अग्रिम				
29	निर्माण संबंधी भण्डार सामग्री				
30	अग्रिम				
31	(च) निवेश				
32	चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम				
33	(क) मालसूची				
34	(ख) विविध देनदार				
35	(ग) रोकड़ तथा बैंक में जमा				
36	(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां				
37	(ड०) ऋण तथा अग्रिम				
38	घटा: चालू देयताएं तथा प्रावधान				
39	(क) देयताएं				
40	(ख) प्रावधान				
41	(निवल चालू परिसम्पत्तियां)				
42	विविध व्यय (बट्टे-खाते न डाले जाने या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)				
43	आकस्मिक देयताएं				

**फार्म-102: 31 मार्च की स्थिति के अनुसार नैगम लाभ-हानि लेखा**

वित्तीय वर्ष:

कम्पनी का नाम:

निर्देश:- निम्नलिखित जानकारी सहित लेखा-परीक्षित नैगम लाभ-हानि लेखा का संक्षिप्त विवरण दें-  
(1) विद्युत संयंत्रों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध आय/व्यय, (2) नैगम स्तर पर आय/किया गया व्यय।

क्र० सं०	विवरण	सभी विद्युत केन्द्रों से प्रत्यक्ष रूप से संयंत्रों से सीधे सम्बद्ध आय/व्यय (लाख में) (1)	सामान्य नैगम आय/व्यय (विद्युत संबंधी कारोबार हेतु आबंटनीय) (लाख में) (2)	अन्य नैगम आय/व्यय (गैर-विद्युत कारोबार और गैर- आबंटनीय) (लाख में ) (3)	सकल जोड़ (लाख में ) (4=1+2+3)
1	आय				
2	अधिसूचित दरों पर ऊर्जा की बिक्री				
	1 आधारभूत राशि				
	(क) नियत प्रभार				
	(ख) परिवर्तनीय प्रभार				
	(ग) ईंधन समायोजन प्रभार				
	2 प्रोत्साहन राशि, यदि कोई हो				
	3 अन्य (विनिर्दिष्ट करें )				
3	अनन्तित दरों पर ऊर्जा की बिक्री, यदि कोई हो				
	1. आधारभूत राशि				
	(क) नियत प्रभार				
	(ख) परिवर्तनीय प्रभार				
	(ग) ईंधन समायोजन प्रभार				
	2. प्रोत्साहन राशि, यदि कोई हो				
	3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें )				
4	विद्युत शुल्क				
5	परामर्शी सेवाओं, परियोजना प्रबन्धन, पर्यवेक्षण संबंधी शुल्क				
6	पुनः जोड़ा गया प्रावधान				
7	अन्य आय				
8	जोड़				
9	व्यय				
10	ईंधन प्रभार - प्राथमिक ईंधन (विनिर्दिष्ट करें )				
11	-द्वितीयक ईंधन (विनिर्दिष्ट करें )				
12	विद्युत उत्पादन, प्रशासन संबंधी तथा अन्य व्यय				
13	मूल्यहास				

**फार्म-102(जारी): 31 मार्च की स्थिति के अनुसार नैगम लाभ-हानि लेखा****वित्तीय वर्ष:****कम्पनी का नाम:**

निर्देश:- निम्नलिखित जानकारी सहित लेखा-परीक्षित नैगम लाभ-हानि लेखा का संक्षिप्त विवरण दें:- (1) सभी विद्युत संयंत्रों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध आय/व्यय, (2) नैगम स्तर पर आय/किया गया व्यय।

क्र० सं०	विवरण	सभी विद्युत केन्द्रों से प्रत्यक्ष रूप से संयंत्रों से सीधे सम्बद्ध आय/व्यय (लाख में) (1)	सामान्य नैगम आय/व्यय (विद्युत संबंधी कारोबार हेतु आबंटनीय) (लाख में) (2)	अन्य नैगम आय/व्यय (गैर-विद्युत कारोबार और गैर- आबंटनीय) (लाख में ) (3)	सकल जोड़ (लाख में ) (4=1+2+3)
14	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)				
15	घटा: चल रहे पूंजीगत कार्यों को अंतरित निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय				
16	विद्युत शुल्क				
17	बट्टे-खाते डाला गया आस्वगित राज्य व्यय				
18	प्रावधान				
19	लाभ (ब्याज तथा वित्तीय प्रभारों की अदायगी से पहले )				
20	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार				
21	घटा: चल रहे पूंजीगत कार्यों को अंतरित ब्याज तथा वित्तीय प्रभार				
22	वर्ष के दौरान लाभ (कर अदायगी से पहले )				
23	कर हेतु प्रावधान				
24	कर अदायगी के बाद लाभ				





## फॉर्म-104-ए: ऋणों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष:

कम्पनी का नाम:

निर्देश:- ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण सहित दीर्घावधि उधार संबंधी ब्यौरों को समामेलित नहीं किया जाए और एक ही उधारदाता से संबंधित विद्यमान एवं नए ऋणों को अलग-अलग दर्शाया जाए ।

क्र० सं०	ऋण का नाम और सन्दर्भ	ऋण/बांड 1	ऋण/बांड 2	ऋण/बांड 3	ऋण.....	ऋण.....	जोड़
	रक्षित/अनारक्षित						
(क)	वर्ष के आरंभ में शेष (लाख में)						
(ख)	वर्ष के दौरान जमा (लाख में)						
(ग)	निम्नलिखित के सन्दर्भ में वर्ष के दौरान समायोजन-						
	1. विनिमय दर भिन्नता						
	2. अन्य समायोजन						
(घ)	घट्य: वर्ष के दौरान भुगतान (लाख में)						
(ङ)	निम्नलिखित के सन्दर्भ में वर्ष के दौरान समायोजन-						
	1. विनिमय दर भिन्नता						
	2. अन्य समायोजन						
(च)	वर्ष के अन्त में जोड़ (लाख में)						
(यदि उपरोक्त में विदेशी मुद्रा में ऋण निहित हैं तो भारतीय रुपयों के साथ-साथ जोड़क में विदेशी मुद्रा में आकरें दें । वर्ष के अन्त में ऋण राशि का अलग-अलग ब्यौरा (ऊपर (घ) में सन्दर्भित राशि)							
1	नैगम-जोड़ (क) से (ग)	(लाख में)					
1 (क)	सभी विद्युत केन्द्र-प्रत्यक्ष (लाख में)						
1 (ख)	सामान्य-नैगम विद्युत संबंधी कारोबार) तथा केन्द्रों को आबंटनीय (लाख में)						
1 (ग)	सामान्य-नैगम (गैर-विद्युत कारोबार) तथा अनाबंटनीय (लाख में)						
2	केन्द्र/विद्युत संयंत्र आदि का नाम	बकामया ऋण का 1 (क) + 1 (ख) (विद्युत केन्द्र-प्रत्यक्ष जमा सामान्य नैगम -विद्युत कारोबार) का विद्युत केन्द्रवार अलग-अलग ब्यौरा ।					
2 1	केन्द्र/विद्युत संयंत्र का नाम	(लाख में)					
2 1 (क)	विद्युत केन्द्र-प्रत्यक्ष (लाख में)						
2 1 (ख)	सामान्य-नैगम (विद्युत संबंधी कारोबार) तथा इस केन्द्र को आबंटनीय (लाख में)						
	(लाख में)						
	(लाख में)						
	(लाख में)						
	(लाख में)						
2 2	केन्द्र/विद्युत संयंत्र का नाम						
2 2 (क)	विद्युत केन्द्र-प्रत्यक्ष						
2 2 (ख)	सामान्य-नैगम (विद्युत संबंधी कारोबार) तथा इस केन्द्र को आबंटनीय						
जोड़ (2)		(लाख में)					





**फार्म 104 सी : ऋण तथा बांड : शर्तें एवं निबन्धन**

वित्तीय वर्ष

कम्पनी का नाम :

निर्देश :-

- 1 इस फार्म में फार्म 104-ए में दिए अनुसार, मूल रूप से नियत और वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया ऋणों के संबंध में विस्तृत शर्तों एवं निबन्धनों का ब्यौरा दिया जाना अपेक्षित है ।
- 2 कालम 2 में उल्लिखित विभिन्न ऋणों के संबंध में कालम 3 के नीचे क्रं. सं. (क) से (ड) के सामने शर्तों एवं निबन्धनों के बारे में विशिष्ट सूचना दी जानी चाहिए ।
- 3 अभ्युक्ति कॉलम का ऋणों से सम्बन्धित शर्तों एवं निबन्धनों में परिवर्तनों तथा इन तथ्यों को बताने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि क्या ऋण किसी विशिष्ट केन्द्र परियोजना के लिए है अथवा नैगम स्तर पर परियोजनाओं / केन्द्रों के किसी समूह के लिए है और सम्बन्धित केन्द्र / परियोजना हेतु उक्त ऋण के आवंटन का आधार क्या है ।
- 4 कालम 2 में दी गई शर्तें एवं निबन्धन निर्देशन प्रकार के हैं न कि सम्पूर्ण और इसलिए जहां लागू एवं आवश्यक हो, कालम (3) में सूचना दी जानी चाहिए ।
- 5 अनारक्षित ऋणों तथा बांडों के सम्बन्ध में भी कॉलम-2 से आवश्यक परिवर्तनों सहित समान फार्म उपयोग किये जा सकते हैं ।

1	ऋणों की शर्तें एवं निबन्धन	विभिन्न ऋणों के मामलों में कालम (2) में यथा उल्लिखित शर्तों एवं निबन्धनों के संबंध में विशिष्ट विवरण				अभ्युक्ति
		3क	3ख	3ग	3घ	
		ऋण-1	ऋण-2	ऋण-3	ऋण-4	4
क)	ऋण का नाम और स्त्रोत					
ख)	ऋण की निर्दिष्ट मुद्रा					
ग)	विनिमय दर (विदेशी मुद्रा में ऋण के मामले में )					
घ)	विदेशी मुद्रा में राशि (विदेशी मुद्रा में ऋण के मामले में )					
ङ)	ऋण की राशि (भारतीय रुपये में )					
च)	तारीख (तारीखें जब ऋण लिया गया) 1 2 3 4					
छ)	ली गई राशि 1 2 3 4					
ज)	ऋण स्थगन / माफी अवधि					
झ)	ऋण स्थगन शुरू होने की तारीख					
ट	अदायगी सम्बन्धी ब्यौरा 1 आरम्भ की तारीख 2 किश्तों की संख्या 3 किश्त की राशि 4 अदायगी का तरीका					
ठ	ब्याज दर 1 मूल दर 2 संयोजन की आवधिकता 3 दण्डात्मक ब्याज दर					
ड	वित्तपोषण एवं प्रेषण प्रभार 1 वचनबद्धता शुल्क 2 अपफन्द शुल्क 3 ई सी ए प्रीमियम 4 अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें )					

## फार्म 105: सामान्य और नैगम लागत आबंटन विधि का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष:

कम्पनी का नाम:

**निर्देश:** तुलन-पत्रों अथवा लाभ-हानि लेखों में दर्शायी गई नैगम तथा सामान्य खर्च/आय मदों और परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आबंटन हेतु उपयोग की सूचना एवं तरीकों को नीचे दिए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए। प्रारूप के अन्त में टिप्पणी भी देखें।

### आबंटन तरीकों तथा पंक्तियों का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
					प्रचालनशील केन्द्र 6-क			निर्माण परियोजनाएं 6-ख			
क्र० सं०	आबंटन हेतु मद	अनुसूची फार्म/सन्दर्भ	आबंटन का आधार	यूनिट	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र	परियोजनाएं	परियोजनाएं	
1	वेतन एवं मजदूरी	फार्म 102	कर्मचारियों की संख्या		1234	234	678	789	23	78	90
2	नीचे दिए अनुसार निर्माण एवं परियोजनाओं के सामान्य खर्च	फार्म 102	पूँजीगत लागत तथा विक्री का अनुपात	विक्री तथा पूँजीगत लागत का मूल्य (रूपयों में)	2345678	5678907	345678	12345678	890789	90897	9076
	(क) मरम्मत तथा अनुरक्षण										
	(ख) वेतन और मजदूरी										
	(ग) किराया										
	(घ)										

**टिप्पणी:** ऊपर कालमों में दिए आंकड़े, सूचना देने संबंधी अपेक्षाओं को समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए हैं। इनके स्थान पर वास्तविक आंकड़े दें।

फार्म 106: नैगम संबंधी तुलन-पत्रों एवं लाभ-हानि लेखों के वित्तीय आंकड़ों के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली अनुसूचियों की सूची ।  
वित्तीय वर्ष: कम्पनी का नाम:

निर्देश:

कॉलम-2 में सन्दर्भित अनुसूचियों की नामावली निदर्शी प्रकार की है, न कि सम्पूर्ण । कॉलम -2 में उल्लिखित अनुसूचियों में निहित सामान्य मदों का ब्यौरा देने के लिए वार्षिक नामावली उपयोग की जाए । कॉलम -(2) में शामिल न की गई विशिष्ट कम्पनियों संबंधी अनुसूचियों अथवा जो अन्वय अपेक्षित न हों, उन अनुसूचियों को शामिल किया जा सकता है और उपयुक्त स्तर पर उनका ब्यौरा दे ।

क्र० स० (1)	निम्नलिखित से संबंधित पी एण्ड एल लेख एवं तुलन-पत्र संबंधी अनुसूचियां (2)	नैगम स्तर पर (3)	विद्युत केन्द्र (4)	अभ्युक्ति (5)
1	पूँजी	•	•	उपलेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
2	प्रारंभित पूँजी तथा अधिशेष	•	•	उपलेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
3	अन्त सूचित लेखा	•	•	इन लेखों के माध्यम से सम्पन्न कारोबारी कार्यकलापों का वित्तीय लेखावार संक्षिप्त ब्यौरा दे । (भाग-2 का फार्म-11 देखें ।
4	अन्त: सूचित वार्षिक जमा लेखे ।	•	•	इन लेखों के माध्यम से सम्पन्न कारोबारी कार्यकलापों का वित्तीय लेखावार संक्षिप्त ब्यौरा दे । (भाग-2 का फार्म-11 देखें ।
5	अचल परिसम्पत्तियां (समेकित)	•	•	मूल्य हास दरों के अनुसार युपिगस सहित उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
6	अचल परिसम्पत्तियां-विद्युत केन्द्र	•	•	मूल्य हास दरों के अनुसार युपिगस सहित उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
7	अचल परिसम्पत्तियां-कार्यालय परिसर	•	•	मूल्य हास दरों के अनुसार युपिगस सहित उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
8	अचल परिसम्पत्तियां-दुकानें/परिसम्पत्तियां	•	•	उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
9	चल रहे पूँजीगत कार्य - विद्युत केन्द्र	•	•	उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
10	चल रहे पूँजीगत कार्य - कार्यालय परिसर	•	•	उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
11	चल रहे पूँजीगत कार्य - दुकानें/परिसम्पत्तियां	•	•	उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
12	सी डब्ल्यू आई पी - निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	•	•	उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
13	निर्माण संबंधी भण्डार सामग्री तथा अधिम निवेश	•	•	प्रमुख मदों का अलग-अलग ब्यौरा दे । विद्युत केन्द्र को निवेश संबंधी आबंधन सहित लाभ या हानि का ब्यौरा दे ।
14	निवेश	•	•	प्रमुख मदों का अलग-अलग ब्यौरा दे ।
15	वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अधिम	•	•	प्रमुख मदों का अलग-अलग ब्यौरा दे ।
16	वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	•	•	प्रमुख मदों का अलग-अलग ब्यौरा दे ।
17	विविध व्यय (बट्टे -सूते डाले गए या समायोजित)	•	•	प्रमुख मदों का अलग-अलग ब्यौरा दे ।
18	आकस्मिक देयताएं ।	•	•	कम्पटी / विद्युत संचयन की ओर विद्युतित राशि या दावों के संबंध में सन्दर्भों या सार्वभौमिक विवरण दे ।
19	पुनः जोड़े गए प्रावधान	•	•	प्रमुख मदों का अलग-अलग ब्यौरा दे ।
20	अन्य आय	•	•	अलावा मद होने पर व्यय का अलग-अलग ब्यौरा दे ।
21	उत्पादन, प्रशासन संबंधी तथा अन्य व्यय	•	•	नैगम स्तर पर उप लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
22	प्रावधान	•	•	प्रमुख मदों का अलग-अलग ब्यौरा दे ।
23	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	•	•	यदि पहले न दिया हो तो प्रत्येक उप-शीर्ष द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
24	चल रहे पूँजीगत कार्य - आई ई डी सी	•	•	उप-लेखों द्वारा पूर्ण अलग-अलग ब्यौरा दे ।
25	निर्देशी मुद्रा घट-बढ़	•	•	यदि पहले न दिया हो तो पूर्ण ब्यौरा दे ।
26	पूर्व अवधि समायोजन	•	•	प्रमुख मदों का अलग-अलग ब्यौरा दे । समायोजन पिछले एक से अधिक वर्षों से सम्बन्धित प्रमुख मदों पर वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा दे ।
27	लेखों पर विपणियां	•	•	यदि अन्वय न दिया गया हो तो ब्यौरा दे ।
28	अन्य अनुसूची (निर्दिष्ट करें )	•	•	उपर निर्देशों को देखें ।

टिप्पणी: विभिन्न स्तरों पर विवरण संबंधी अपेक्षाएं कॉलम (3) तथा (4) में बिन्दुओं से प्रदर्शित की गई हैं ।

भाग - IVवार्षिक सूचना अपेक्षाएं

( कंपनी के प्रत्येक विद्युत केन्द्र / चरण के संबंध में जानकारी दी जाए )

( विद्युत केन्द्र संबंधी वित्तीय एवं प्रचालनात्मक आंकड़े )

रिपोर्ट संदर्भ :

वित्तीय वर्ष :

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत फार्मों, अनुसूचियों, सहायक दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

केस नं. :

वित्तीय वर्ष :

फार्म सं.	फार्मों के शीर्षक	पृष्ठ संदर्भ
000	सहायक साक्ष्यों की सूची ( सूचीबद्ध की जाए )  <u>विद्युत केन्द्र</u>	
1.	विद्युत केन्द्र संबंधी सामान्य सूचना	
2.	विद्युत केन्द्र संबंधी आधारभूत सूचना और तकनीकी विंशषताएं	
3.	31 मार्च की स्थिति के अनुसार विद्युत केन्द्र का तुलन-पत्र	
4.	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए विद्युत केन्द्र संबंधी लाभ-हानि लेखा	
4-क	विद्युत केन्द्र संबंधी व्यय आवंटन	
5.	विद्युत केन्द्र के मासिक वित्तीय संबंधी आंकड़े	
6.	विद्युत केन्द्र संबंधी ऋण तथा व्याज	
7.	विद्युत केन्द्र संबंधी मासिक प्रचालनात्मक आंकड़े	
8.	विद्युत केन्द्र की सप्ललाई संबंधी गुणवत्ता का मासिक व्यौरा	
9.	विद्युत केन्द्र के मासिक ईंधन उपभाग आंकड़े	
10.	पर्यावरण मामलों संबंधी सूचना	
11.	अन्तः यूनिट समायोजनों पर पर टिप्पणियां	

सहायक साक्ष्यों की सूची

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

सं.	प्रस्तुत साक्ष्यों के संदर्भ/ विवरण	साक्ष्य सं.
-----	-------------------------------------	-------------

प्रत्येक प्रस्तुत साक्ष्य, संबंधित फार्म या अनुसूची के अनुसार होगा और इसके लिए तीन अंकों की संख्या दी जानी चाहिए जिसे साक्ष्य संख्या माना जाए ।

साक्ष्य सं. : X - X.x - 009 - अर्थात् अनुसूची - X , उप-खंड X.x, साक्ष्य सं. 009

0	उदाहरण : एम पी पी X X X को बॉयलर डिजाइन के लिए प्रदान की गई पगमशी सेवाओं से संबंधित आय	12वी/01/005
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

### खण्ड-1: विद्युत केन्द्र संबंधी सामान्य सूचना

वित्तीय वर्ष:		कम्पनी का नाम:
विद्युत केन्द्र का नाम:		
नीचे दिए मामलों से संबंधित ब्यौरा दें। विवरण स्पष्ट एवं सही होने चाहिए और प्रश्नों के अनुसार उनकी क्रम संख्या दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो, 'कोई नहीं', 'लागू नहीं' आदि लिखें।		
1	वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां	साक्ष्य सं०
1.1	सरकारी निकायों द्वारा जारी नई अधिसूचनाओं संबंधी के सम्बन्ध जो कम्पनी की राय में 'वार्षिक रिपोर्ट' प्रस्तुत करते समय महत्वपूर्ण एवं उनके कारोबार से संबंधित हों। अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण दें और बताएं कि वह आवेदक के कार्यक्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित करता है। सम्बन्धों का पूरा ब्यौरा दें और साक्ष्यों के साथ-साथ नई अधिसूचनाएं प्रस्तुत करें।	
1.2	निगमीकरण या स्वामित्व की नियमावली में परिवर्तन: स्वामित्व के स्वरूप में सभी परिवर्तनों का ब्यौरा दें और प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सभी निगमों या समान प्रकार के संगठनों के नाम दें।	
1.3	अन्य कानूनी परिवर्तन या कार्यवाही: महत्वपूर्ण कानूनी मामलों या आवेदक के अधिकारों के संबंध में उन परिवर्तनों का उल्लेख करें जिनसे कम्पनी की राय में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय टैरिफ पर प्रभाव पड़ सकता है।	
1.4	विचाराधीन संयंत्र से सम्बद्ध खरीद या बिक्री: निम्नलिखित जानकारी दें- सम्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा: कारोबार को प्राधिकृत करने वाले निकाय का नाम एवं उक्त प्राधिकरण का सम्बन्ध, खरीद संबंधी भुगतान या प्राप्ति के विवरण सहित राशि, पार्टी का विवरण जिसके साथ कारोबार किया गया आदि।	
1.5	संयंत्र अथवा उससे सम्बद्ध सुविधाओं में विस्तार (नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित) या कमी फार्म 101 में यथा उल्लिखित पूंजीगत व्यय (अचल परिसम्पत्तियों से संबंधित) में वृद्धि या कमी की उन प्रमुख मदों का संक्षिप्त ब्यौरा दें जो कम्पनी की राय में प्रचालनात्मक दक्षता को काफी अधिक प्रभावित कर सकती हैं।	
1.6	निर्माणाधीन नए यूनिट: विभिन्न संयंत्रों के तुलन-पत्रों एवं लाभ-हानि लेखों में निर्माण परियोजनाओं पर व्यय के बारे में प्रदान की गई सूचना में सह-सम्बन्ध की सुगमता हेतु निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति, उनसे संबंधित कार्यों के निर्धारित कार्यक्रम एवं प्राप्त प्रगति, परियोजना / जोड़े गए यूनिटों के विभिन्न चरणों के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीख का विवरण दें।	
1.7	पर्यावरणीय मामले: फार्म -10 के अनुसार	
1.8	अन्य कोई सामान्य सूचना जो कम्पनी की राय में टैरिफ को प्रभावित कर सकती है और जिसकी आयोग को जानकारी होनी चाहिए।	
2	लेखा नीतियां तथा लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र।	
2.1	लेखा नीति और उससे हटकर कोई कार्यवाही और यदि पहले न दिया गया हो तो उसके औचित्य का ब्यौरा।	
2.2	लेखा संबंधी टिप्पणियों का विवरण यदि पहले न दिया हो, और भाग-1 के खण्ड-3 के पैरा-14 के अनुसार लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र।	

**फार्म 2: विद्युत केन्द्र से सम्बन्धित आधारभूत सूचना और तकनीकी विशेषताएं**

वित्तीय वर्ष:

विद्युत केन्द्र का नाम:

कम्पनी का नाम:

स्थान:	क्षेत्र:	राज्य:	जिला:
--------	----------	--------	-------

**निर्देश:** ऊपर 1.1 में उल्लिखित विद्युत केन्द्र का पहचान स्वरूप अलग प्रकार का होना चाहिए और वार्षिक सूचना प्रस्तुत करने सम्बन्धी अपेक्षाओं में समान रूप में उपयोग जाना चाहिए। नीचे अपेक्षित सूचना को प्रथम वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है और इसमें परिवर्तन होने पर इसे पुनः प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

1.2 संयंत्र संबंधी आधार भूत विशेषताएं और ईंधन का प्रकार  
**संयंत्र की आधारभूत विशेषताएं (टिप्पणी 1 देखें)**  
**ईंधन का प्रकार**

1.3 प्रदर्शित क्षमता (कार्य निष्पादन परीक्षण पर आधारित): प्रत्येक एकल यूनिट (ज्याँ जनरेटर सहित) के संबंध में आंकड़े दिये जाने चाहिए और शुरुआत मोड्यूल-1 (या चरण-1) से करें।

मोड्यूल/ ब्लाक का नाम या संख्या यूनिट संख्या											
समकालिक प्रक्रिया (सिन्क्रोनाइजेशन) का तारीख											
सिन्क्रोनाइजेशन की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रदर्शित क्षमता											
वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख											
वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रदर्शित क्षमता											
स्थिरीकरण की तारीख											
स्थिरीकरण की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रदर्शित क्षमता											
1.4 निर्धारित क्षमता											
1.5 न्यूनतर फीड पम्प के लिए चालन (ड्राईच) का प्रकार (टिप्पणी 2 देखें)											
1.6 संघातित्र (कंडेसर) के लिए शीतलन प्रणाली का प्रकार (टिप्पणी 3 देखें)											
1.7 विद्युत जनरेटर के लिए शीतलन प्रणाली का प्रकार (टिप्पणी 4 देखें)											
1.8 अन्य मुख्य विशेषताएं											

टिप्पणी-1: उदाहरण-कोयला संयंत्र के लिए क) पारंपरिक भाप जनरेटर (ख) सर्कुलैटिंग फ्लूइडिज्ड बेड कम्ब्यूशन जनरेटर (ग) सब क्रिटीकल वनस यू. स्टीम जनरेटर इत्यादि।  
टिप्पणी-2: (क) मोटर से चलाने वाला (ख) भाप टर्बाइन से चलाने वाला, अन्य (स्पष्ट करें)  
टिप्पणी-3: (क) वनस यू. कूलिंग सिस्टम (ख) जल शीतलन टवर का उपयोग के द्वारा क्लोज्ड सर्किट कूलिंग, (ग) अन्य (स्पष्ट करें)  
टिप्पणी-4: (क) वायू के माध्यम से शीतलन (ख) पानी के माध्यम से शीतलन (ग) हाईड्रोजन के माध्यम से शीतलन (घ) अन्य स्पष्ट करें)



**फार्म 3: 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए विद्युत केन्द्र संबंधी तुलन-पत्र****वित्तीय वर्ष:****कम्पनी का नाम:****विद्युत केन्द्र का नाम:**

निर्देश: विद्युत केन्द्र (प्रत्यक्ष) तथा आबंटित परिसम्पत्तियों से संबंधित लेखा-परिक्षित तुलन-पत्र का ब्यौरा दें। अन्तः युनिट लेखे / नकद उधार निधि लेखे को विशिष्ट लेखों में प्रदर्शित करें। पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में सापेक्ष रूप से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि वाले प्रत्येक लेखे के मामले में अंतिम कॉलम में उक्त वृद्धि का संक्षिप्त रूप से औचित्य दें।

तुलन-पत्र की मदें	अनुसूची संदर्भ	वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार			पूर्व वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार			सापेक्ष वृद्धि (कुल)	वर्तमान मदों के अलावा लेखों में सापेक्ष वृद्धि से संबंधित टिप्पणी
		प्रत्यक्ष	आबंटित	कुल	प्रत्यक्ष	आबंटित	कुल		
(1)	(2)	(3) लाख	(4) लाख	(5) लाख	(6) लाख	(7) लाख	(8) लाख	(9)	(10)
1	निधियों के स्रोत								
2	शेयरधारियों की निधियां								
3	पूंजी								
4	प्रारक्षित राशि तथा अधिशेष								
5	उप जोड़ (3+4)								
6	ऋण निधियां								
7	रक्षित ऋण								
8	अनारक्षित ऋण								
9	उप जोड़ (7+8)								
10	अन्त यूनिट लेखा								
11	नकद उधार निधियां लेखा								
12	उप जोड़ (10+11)								
13	जोड़ (5+9+12)								
14	निधियों का उपयोग								
15	अचल पूंजी संबंधी व्यय								
16	अचल परिसम्पत्तियां								
17	सकल ब्लॉक								
18	घट मूल्यहास								
19	निवल ब्लॉक (17-18)								
20	चल रहे पूंजीगत कार्य								
21	निर्माण संबंधी भण्डार सामग्री तथा अग्रिम								
22	उप जोड़ (19+20+21)								
23	निवेश								
24	चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम								
25	मालयूची								

जारी पेज 2 पर

**फार्म 3(जारी): 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए विद्युत केन्द्र संबंधी तुलन-पत्र**  
**वित्तीय वर्ष: कम्पनी का नाम:**  
**विद्युत केन्द्र का नाम:**

निर्देश: विद्युत केन्द्र (प्रत्यक्ष) तथा आबंटित परिसम्पत्तियों से संबंधित लेखा-परिक्षित तुलन-पत्र का ब्यौरा दें। अन्तः युनिट लेखे / नकद उधार निधि लेखे को विशिष्ट लेखों में प्रदर्शित करें। पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में सापेक्ष रूप से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि वाले प्रत्येक लेखे के मामले में अंतिम कॉलम में उक्त वृद्धि का संक्षिप्त रूप से औचित्य दें।

तुलन-पत्र की मदें	अनुसूची सन्दर्भ	वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार			पूर्व वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार			सापेक्ष वृद्धि (कुल)	वर्तमान मदों के अलावा लेखों में सापेक्ष वृद्धि से संबंधित टिप्पणी
		प्रत्यक्ष	आबंटित	कुल	प्रत्यक्ष	आबंटित	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		लाख	लाख	लाख	लाख	लाख	लाख		
26	विविध देनदार								
27	रोकड़ तथा बैंक में जमा शेष								
28	अन्य चालू परिसम्पत्तियां								
29	ऋण तथा अग्रिम								
30	उप-जोड़ (25+26+27+28+29)								
31	घटा चालू देयताएं तथा प्रावधान								
32	देयताएं								
33	प्रावधान								
34	उप-जोड़ (32+33)								
35	निवल चालू परिसम्पत्तियां (30-34)								
36	विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले जाने या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)								
37	जोड़ (22+23+35+37)								
38	आकरिमक देयताएं								
39	लेखों पर टिप्पणियां								















**फार्म 7: विद्युत केन्द्र का मासिक प्रचालन विवरण**

वित्तीय वर्ष:

विद्युत केन्द्र का नाम:

कम्पनी का नाम:

निर्देश:- विभिन्न प्रचालन पैरामीटरों की परिभाषाओं तथा गणना के लिए वार्षिक रिपोर्ट संबंधी अपेक्षाओं में निहित निर्देश देखें ।

कुल ऊर्जा उत्पादन	विद्युत कारण अनुमानित ऊर्जा हानि (प्रमाणन सहित)	कुल अतिरिक्त उपभोग तथा हानि	कुल प्रतिक्रियाशील ऊर्जा उत्पादन	कुल अनुपात एम वी ए आर एच/एच	वृद्धि संकलन उष्मा दर	वृद्धि निवल उष्मा दर	कुल जबरन बंदी (आइटेज) समय	विद्युत कारण जबरन बंदी (आइटेज) समय	विद्युत कारण जबरन बंदी (आइटेज)	मरम्मत/अवुरक्षण की अवधि	वारस्तविक प्रचालन	अतिरिक्त लोडिंग	अतिरिक्त लोडिंग के दौरान कुल उर्जा उत्पादन
(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)	एम वी ए आर एच	(%)	(कि. कैलोरी/ कि.वा.)	(कि. कैलोरी/ कि.वा.)	(घंटे)	(घंटे)	(घंटे)	दिवस	(घंटे)	(घंटे)	(मि.यू.)
<b>मोड्यूल या यूनिट के संदर्भ में वार्षिक भारित औसत आंकड़े</b>													
मोड्यूल-1/यूनिट-1													
मोड्यूल-2/यूनिट-2													
मोड्यूल-3/यूनिट-3													
मोड्यूल-4/यूनिट-4													
यूनिट-5													
यूनिट-6													
यूनिट-7													
यूनिट-8													
<b>जोड़</b>													
<b>विद्युत केन्द्र के संबंध में भारित औसत आंकड़े</b>													
अप्रैल													
मई													
जून													
जुलाई													
अगस्त													
सितम्बर													
अक्टूबर													
नवम्बर													
दिसम्बर													
जनवरी													
फरवरी													
मार्च													
<b>जोड़</b>													







फार्म 10: पर्यावरण मामलों तथा उनसे सम्बद्ध मुद्दों के बारे में सूचना

वित्तीय वर्ष:

कम्पनी का नाम:

विद्युत केन्द्र का नाम:

**क पर्यावरण मामलों से सम्बद्ध उपस्करों, मशीनरी तथा अन्य पूंजीगत परिसम्पतियों का विवरण**

सं.	उपस्कर आदि का नाम	कै.वि.प्र. के अनुमोदित लागत अनुमानों में निहित यथि डिस्क्रिप्शन के लिए गणना किए अनुसार)	उपस्कर आदि पर वास्तव में खर्च राशि	कालम (3) तथा (4) के बीच भिन्नता के कारण	कालम (5) में उल्लिखित कारणों का माबकों का प्राव्य निस्सरण स्तर पर प्रभाव (नामा बटाएं)
ख					
ग					
घ					
ङ					
च					
छ					

बताएं कि क्या ऊपर (क) के अन्तर्गत सूचीबद्ध उपस्कर पूरे वर्ष प्रचालन में थे । यदि नहीं तो कारण बताएं और उपस्करों आदि के प्रचालन में न रहने की अवधि भी इंगित करें ।

पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में लागू सरकारी और अर्द्धसरकारी अनुमोदनों / स्वीकृतियों की प्रतियां संलग्न करें ।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की सक्षम नियंत्रण एजेंसियों द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्टें / प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें ।

विद्युत केन्द्र को आंशिक या पूर्ण रूप से बन्द रखने के संबंध में पर्यावरणीय नियंत्रण एजेंसी द्वारा जारी निर्देशों यदि कोई हो, के समय, अवधि तथा कारणों का ब्यौरा दें ।

ऊपर (क) में उल्लेखानुसार, विद्युत केन्द्र को आंशिक या पूर्ण रूप से बंद रखने के कारणों को दूर करने हेतु की गई उपचारार्थक कार्यवाही का ब्यौरा दें ।

क्यों एवं गैस के रूप में निस्सरण स्तर संबंधी ब्यौरा, प्रत्येक मास के लिए रेंज के रूप में प्रस्तुत किया जाए ।

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2000

**No. L-7/20(1)/99-CERC.**—In exercise of powers conferred under Regulation 74 read with Regulation 94 and 110 of the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 and all other powers enabling in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following order :—

**1. Short title and commencement**

- (i) This order shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Filing of Annual Report by Thermal Generating Companies) Order 02/2000.
- (ii) This order shall come into force with immediate effect.
- (iii) The words and expressions used in this order shall have the same meaning as defined in the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998, the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948.

**2. Annual Report to be filed by the Thermal Generating Companies**

Every thermal generating company owned or controlled by the Central Government and the thermal generating company other than that owned or controlled by the Central Government, if such a company enters into or otherwise has a composite scheme for generation and sale of electricity in more than one state, shall file with the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission **seven** copies of Annual Report along with **one electronic copy** in respect of all Thermal Power Stations under its control for the preceding financial year on or before 31<sup>st</sup> October, containing the particulars in the manner and form as specified in the schedule.

Provided that the Annual Reports for a period five years preceding the current financial year shall be filed within three months from the date of publication of this notification.

[No. ADVT-III/IV/Exty/150/2000]  
SANJEEV S. AHLUWALIA, Secy.

**SCHEDULE**

**PART-I**

**Section – I: Instructions for completing Annual Report**

1. The Annual Report shall be filed as per the instructions provided herein and the requisite data shall be furnished as per the schedule attached. All forms prescribed and accompanying the Annual Report shall be complete in all respects. The Commission, however, may require the Generating Company to submit additional information/supporting documents/data as it may deem necessary.

2. Only Arabic numerals shall be used for completing the forms/schedules. All figures are to be rounded off to two decimal places, except where otherwise specified.
3. The negative amounts and figures shall be represented with a bracket sign around them.
4. Unless otherwise specified in any particular form, all the details as prescribed by the Commission shall be completed by the Generating Company while filing the Annual Report even where such details had been furnished while filing the Annual Report on any earlier occasion.
5. Where the details required under any head are not applicable to the Generating Company it shall be stated in full words as NOT APPLICABLE.
6. The format to be followed for indicating the dates shall be Date/Month/Year.
7. When Generating Company seeks to make amendments to Annual Report filed, only the pages that have been changed from the Annual Report shall be resubmitted. Seven copies of the pages with the amendments shall be filed, each page identified by a red stamp indicating whether it is the 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> etc. revision. All such pages resubmitted shall indicate the date of re-submission, and shall be given the same page number as in the original Annual Report followed by alphabetical suffixes, as required. A list identifying the re-submitted pages and specifying the total number of pages re-submitted shall also be provided along with the covering letter indicating the nature of the revision and the reason therefor. The Commission, however, reserves the right to direct the Generating Company to re-submit the Annual Report in full wherever it deems appropriate.
8. The Commission except under special circumstances, would not allow deviations from prescribed formats. In case, if for some reasons, the Generating Company needs to deviate from the prescribed formats, the reasons for such deviations shall be clearly spelt out along with detailed justification, for proper appreciation of the Commission.
9. The data, information, supporting documents and evidence provided by the Generating Company in the annual filing report shall be specific, consistent and precise. Inter-relationships, if any, between information/ data in various schedules on the one hand and the supporting evidence on the other, shall be established by the Generating Company, to provide clear and unambiguous understanding of the information provided. Detailed workings and calculations, wherever specifically required, or otherwise desirable, to support the details contained in the various forms may be appended as Annexures.
10. All financial data and information, including those contained in the annexures, shall be authenticated, as being based on the books of accounts

and other records maintained and certified to be true by the company's statutory auditors . All data and information relating to costs, etc including methods of allocation and apportionment thereof shall be certified by a practising cost accountant as true and correct and the methods of allocation of costs, etc are fair and reasonable.

11. Though, individual forms require data, information to be stated, in full and distinctly, on items, such as allocation methods and amounts thereof of common corporate (including the Head Office) expenses, other common expenses of construction and operation projects, details of foreign exchange variations, inter station transfers, capitalised interest during construction etc., this instruction may be observed, as a general rule, in all the forms, wherever, relevant and applicable or as warranted.
12. Explanation shall be provided or wherever significant variations, or as may be stipulated, are observed between the current Annual Report and the previous one for the same station and the reasons therefor. Steps initiated to control, nullify, offset or neutralise any adverse performance or cost deterioration shall also be described.
13. Specific instructions contained in the individual forms shall be strictly observed. Most commonly used units of measurement or forms of expression of items related and connected with power sector may be used, if not provided for specifically under this order.

## **SECTION - II: Supporting Documents to be submitted**

In addition to the forms/schedules to be submitted by the generating company, the annual filing report shall be accompanied by the following documents, unless the same have already been submitted along with a previous report and there is no change in the same:

1. A copy of Techno-Economic Clearance (TEC) for the original cost as well as revised cost along with a copy of Detailed Project Report (DPR).
2. A copy of duly signed Engineering, Procurement and Construction Contracts, Fuel Supply Agreement, and Power Purchase Agreements together with amendments thereof.
3. A copy each, of clearances along with amendments, if any, obtained from the nodal Ministries/Departments in support of the environmental project clearance, and approved scheme of finance including the rupee and foreign currency loans
4. A copy of any notification, standard, norm or any other document to which reference is made in the annual filing.



5. A copy of the complete set of power plant balance sheet and profit and loss accounts with all major working details along with notes to accounts and auditor's certificate.
6. Complete performance curves including the guaranteed turbine cycle heat rate showing variation of heat rate v/s megawatt load, and the correction curves.
7. Copy of the guarantee performance test reports for all the units of the power plant station to establish, such as: demonstrated capacity in MW; gross heat rate in Kcal/kWh; auxiliary power consumption of the various components of the power plant at 100%, 80%, 60% and 50% MCR of the unit, if applicable.

### Section -III: Definitions

Words or expressions occurring in this Order and not defined herein but defined in the Act unless repugnant to the text, shall bear the same meaning as in the Act. Words and expressions used in these filing requirements and not defined either in the filing requirements or in the Act, but defined in the Indian Electricity Act, 1910 or the Electricity (Supply) Act, 1948 unless repugnant to the text, shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts, or as may be revised by the Commission.

### Abbreviations used

(a)	°C	-	degree Celsius
(b)	Hz	-	Hertz or cycles per second
(c)	kCal	-	Kilo-Calories
(d)	g	-	gram
(e)	kg	-	kilogram
(f)	kW	-	kilo Watt
(g)	kWh	-	Kilo Watt hour
(h)	ltr	-	litre
	Financial Year ending 31 st March.	(j) MU	- Million Units
(k)	MW	-	Mega Watt
(l)	MT	-	Metric Tonne
	(m) Rs	-	Rupees
(n)	CCTU		Combined Cycle Combustion Turbine

**Act** means the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (Act 14 of 1998)

**Auxiliary Energy Consumption-** In relation to any period, the ratio, expressed as a percentage, of Gross Energy in Kwh generated at Generator(s) Terminals minus Net Energy in Kwh delivered at the Switchyard to Gross Energy in Kwh generated at the Generator(s) Terminals.

**Available Capacity** – In relation to Settlement Period, the sum of (a) Power delivered or deemed to be delivered (in case of backing down) at the switchyard and (b) Auxiliary Consumption. In the case of Combined Cycle Combustion Turbine (CCCT) Generating Stations this will be corrected for average dry bulb temperature of the Settlement Period.

**Commercial Operation Date or 'COD'** – In relation to a Unit or Module the date by which the Maximum Continuous Rating (MCR) or acceptable installed capacity is demonstrated by a Performance Acceptance Test as per international standards or codes after successful trial operation including stabilisation. The COD of the Generating Station shall be reckoned from the COD of the last Unit or last Module as the case may be.

**Commission** - means the Central Electricity Regulatory Commission constituted under the Act.

**Deemed Generation** - means energy which the unit/Generating Station was capable of generating but could not generate due to grid conditions beyond the control of generator, and as certified by the authority entitled to do so.

**Deemed Plant Load Factor** – In relation to any period of operation of the unit/Generating Station, the ratio, expressed as a percentage of:

- a) the sum of energy generated at Generator terminals (kWh) and Deemed Generation (kWh), to;
- b) Installed Capacity, expressed in kilowatts (kW) multiplied by number of hours in the relevant period

**Demonstrated Capacity Steam Power Station:** In relation to a unit the electric output at Generator Terminals demonstrated at rated parameters during Performance Acceptance Test as per international codes such as ASME -PTC 6, after successful trial operation including stabilisation.

**CCCT generating Station:** In relation to a unit or Module, the electric output at Generator(s) Terminals demonstrated during Performance Acceptance Test as per latest versions of ISO-2314/ASME PTC -22 after successful trial operation and corrected to 50Hz grid frequency and site conditions as envisaged in the definition of 'MCR'.

**Forced Outage** - In relation to the period under consideration, it is the actual number of hours of unplanned shutdown of a unit.

**Generating Station:** In relation to Steam Power Station, 'Unit and Balance of Plant' and in relation to CCCT Generating Station 'CCCT Module(s) and balance of Plant'.

**Gross Calorific Value or 'GCV'**— The heat produced in kCal by complete combustion of one (1) kg of solid fuel or liquid fuel or one (1) standard cubic metre (Sm<sup>3</sup>) of gaseous fuel, as per IS: 1350 (Part II) or IS: 1448 (P: 6), as applicable.

*Note*

In case of coal or lignite fuel, the GCV of the fuel as received shall be reduced by 100 kCal/kg to arrive at the GCV of the fuel as fired for the purpose of determination of the fuel consumption.

**Gross Heat Rate or 'GHR'** – The heat energy in kCal input to the unit or Module or generating station to generate one kWh of electric energy from the Unit or Block or Generating Station, at Generator terminals.

**Planned Outage hours** - In relation to the period under consideration, it is the actual number of hours of planned shutdown of a Unit or Module or Generating Station for the purpose of its maintenance. **Plant Load Factor or 'PLF'** – In relation to any period, the ratio, expressed as a percentage of:

- a) Total kWh generated at generator terminals, to;
- b) Installed Capacity, expressed in kilowatts (kW) multiplied by number of hours in the relevant period.

**Plant Life:** As per Govt of India Gazette Notification No 265 (E) dated 29<sup>th</sup> March, 1994, as amended from time to time.

**Proceedings** mean and include proceedings of all nature that the Commission may hold in the discharge of its function under the Act.

**Rated Capacity:** In relation to Steam Power Station, the MCR of a Unit multiplied by a number of Units in the Generating Station. In relation to CCCT Generating Station the MCR of Module or Block multiplied by the number of Modules or Blocks

**Specific Fuel Consumption based on the Gross Generation** - is the amount of fuel required to generate one (1) kilowatt-hour of energy at the generator terminals.

**Settlement Period:** An hour or other mutually agreed period during which the available capacity shall be taken as constant and equal to average capacity during the period.

**Unit:** In relation to Steam Power Station, Steam Generator - Turbine-Generator and their Auxiliaries. In relation to Combined Cycle Combustion Turbine (CCCT) Generating Station: Combustion Turbine - Generator and Auxiliaries

**Installed Capacity** – Rated Capacity or sum of the Demonstrated Capacity of the Units in the Generating Station, which ever is less.

**Maximum Continuous Rating (MCR):** In relation to a Unit of Steam Power Station, the maximum continuous output at the Generator Terminals guaranteed by the manufacturer at the rated parameters as per IEC -45. In relation to Unit or Module of CCCT Generating Station, the maximum continuous output at the Generator(s) Terminals guaranteed by the manufacturer with water / steam injection (if applicable) at ISO -2314 and ISO 3977 reference conditions and corrected to 50Hz grid frequency and site conditions.

**Explanation:** Site conditions refer to annual mean dry bulb temperature, annual mean relative humidity, site atmospheric pressure and worst circulating water inlet temperature.

**Module** - In relation to CCCT Generating Station, Combustion Turbine Generator(s), associated Waste Heat Recovery Boiler(s), connected Steam.

**Turbine -Generator and Auxiliaries.**

**Net Calorific Value or 'NCV'** – Gross Calorific Value minus the heat losses due to total moisture in complete combustion of one kilogram of solid fuel or liquid fuel or one standard cubic metre of gaseous fuel, expressed in  $\text{kCal/kg}$  or  $\text{Sm}^3$  as per applicable standards.

**Net Heat Rate or 'NHR'** – The heat energy in  $\text{kCal}$ , input to a Unit or Module or Generating Station to deliver one  $\text{kWh}$  at the Switchyard.

**Operation and Maintenance Expenses or O & M Expenses:** In relation to a period, the expenditure incurred in operation and maintenance of the Generating Station including manpower, spares, consumables (including water), insurance and overheads.

**Partial Load hours** - In relation to the period under consideration, it is the actual number of hours of planned or forced reduction in output (MW) of the operating Unit or Module or Generating Station due to constraints in auxiliaries/equipment's or any other cause.

**Petition** means and includes all petitions, applications, complaints, appeals, replies, rejoinders, supplemental, pleadings, other papers and documents;

**PART II****Identification & Reference**

1.	Present Name of the Applicant:
2.	Address of the Applicant:  City:  State: Telephone: Fax: e-mail:  Name of contact person Telephone no.
3.	Date of Incorporation of the Organisation:
4.	Registration Number:
5.	Indicate any change in name or address:  Prior name.  Prior address:  Date of change:

6. Name of the Power Plants covered in this Annual Filing Requirements Report:			
	Name of the Power Plant	Abbreviation	Type of Fuel
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

## PART-III

## CORPORATE FINANCIAL AND OPERATIONAL DATA

## ANNUAL INFORMATION REQUIREMENTS

Name of the Company:

Financial Year:

**LIST OF FORMS, SCHEDULES, SUPPORTING DOCUMENTS, AND EVIDENCES SUBMITTED WITH THE ANNUAL FILING REQUIREMENTS REPORT**

Name of the Company:		
Case No.:		
Financial Year:		
FORM NOS	TITLE OF THE FORMS	Page Reference
000	LIST OF SUPPORTING EVIDENCES (to be listed)	
	<b>CORPORATE</b>	
100	CORPORATE GENERAL INFORMATION	
101	CORPORATE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH	
102	CORPORATE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st	
103-A	OVERALL PROFIT & LOSS ACCOUNT BREAKDOWN BY POWER STATION	
103-B	OVERALL ASSETS & LIABILITIES BREAKDOWN BY POWER STATION	
104-A	LOANS DETAILS AND ASSIGNATION BY POWER STATION - SUMMARY	
104-B	FINANCE AND INTEREST CHARGE DETAILS AND ASSIGNATION BY POWER STATION - SUMMARY	
104-C	DETAILED TERMS AND CONDITIONS OF LOANS	
105	COMMON AND CORPORATE COST ALLOCATION METHOD DESCRIPTION	
106	LIST OF THE SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND BALANCE SHEET TO BE SUBMITTED	

**LIST OF SUPPORTING EVIDENCES**

Name of the Company:

No.	References or Description of the Evidence Submitted	Evidence No.
-----	---	--------------

Each Evidence submitted shall be identified by the FORM or Schedule to which it relates followed by a number (of three digits) referring of the evidence number.

Evidence No.: X - X.x - 009 - Evidence referring to the Schedule X, sub-section X.x, Evidence Number 009.

0	Ex.: Income related to Consultancy Services provided to MPPXXX for Boiler Design	12b / 01 / 006
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		



	Description	Evidence No
	<p><i>Give particulars (details) concerning the matters indicated below, if it has not been already reported at the Power Station level, in FORM 1 of part II of the annual filing requirements. Make the statements explicit and precise, and number them in accordance with the inquiries. Each inquiry should be answered. Enter "none", "not applicable", or "NA" if necessary.</i></p>	
1.	<b>Important Notes or Changes During the Financial Year</b>	
1.1	References to new notifications from Government bodies which in the opinion of the company at the time of filing 'annual filing report' are material and relevant to their business. Give a brief description of the notification and indicate how it affects the applicant's operations. Provide the references and submit the new notifications along with the Evidences.	
1.2	Changes in articles of incorporation or ownership: Report below all changes in the ownership structure, with the name of all corporations, or similar organisations, controlled directly or indirectly by respondent.	
1.3	Other legal changes or proceedings: Give changes in and materially important legal matters or rights of the applicant, <i>which in the opinion of the company, at the time of filing 'annual filing report' would have an impact on the tariff.</i>	
1.4	Purchase or sale associated to the plant under consideration: Give details such as a brief description of the property, name of the body authorising the transaction, and reference of the authorisation, amount with break up of purchase consideration paid or received, details of party with whom transaction entered etc.	
1.5	Extension (including renovation & modernisation) or reduction of the plant or its related facilities: Provide brief description of only major items of addition or deletion to capital expenditure accounted for in form 101 (relating to fixed assets), which in the opinion of the company could materially affect the operational efficiency.	
1.6	New unit(s) under construction: Provide a description of the status of the projects undergoing, their schedules and progress realised, anticipated date of commercial operation of the different stages of the project/unit additions to facilitate co-relation of information provided on expenditure on construction projects in various plant balance sheet and profit and loss accounts.	
1.7	Environmental matters: Details as called for in form 10 of part II shall be provided.	
1.8	Any Other general information, which in the opinion of the company may have an impact on tariff and which the CERC must be aware of.	
2.	<b>Accounting Policies and Auditors' Certificate</b>	
2.1	A statement on accounting policy and deviations, if any, therefrom and justifications therefor if not already provided elsewhere.	
2.2	A statement on notes to accounts if not already provided elsewhere.	
2.3	Auditors' Certificate as referred to in para 10 of Section 1 of Part 1	

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

FORM 101 : CORPORATE BALANCE SHEET _AS ON 31st MARCH					
Financial Year: Fy ....			Name of the company		
Instructions Provide a summary of the audited Corporate Balance Sheet with the following breakdown (1) the assets/liabilities related directly to ALL the Power Plants and (2) the assets/liabilities held at the corporate level					
S.No.	Particulars	Assets/Liabilities related directly to ALL the Power Stations (Lakhs) (1)	Common Corporate Assets/Liabilities (Power Business) (Lakhs) (2)	Other Corporate assets / liabilities (non power business) and not allocable Lakhs (3)	GRAND TOTAL (Lakhs) (4=1+2+3)
1	<b>SOURCES OF FUNDS</b>				
2	<b>Shareholders' Funds</b>				
3	a) Share Capital				
4	b) Share Capital Deposit				
5	c) Govt of India Fund adjustable to Equity				
6	d) Reserves and Surplus				
7	<b>Loan Funds</b>				
8	a) Secured Loans				
9	b) Unsecured Loans				
10	<b>Income Received on Account of Advance Against Depreciation, if any</b>				
11	<b>APPLICATION OF FUNDS</b>				
12	<b>Fixed Capital Expenditure</b>				
13	a) Gross Block				
14	Value at the beginning of the FY				
15	Additions/ Adjustments during the FY				
16	Deletions /Adjustments during the FY				
17	Value at the end of the FY				
18	b) Accumulated Depreciation				
19	Value at the beginning of the FY				
20	Additions/ Adjustments during the FY				
21	Deletions /Adjustments during the FY				
22	Value at the end of the FY				
23	c) Net Block				
24	d) Capital Work-In-Progress				
25	Value at the beginning of the FY				
26	Additions/ Adjustments during the FY				
27	Deletions /Adjustments during the FY				
28	Value at the end of the FY				
29	e) Construction Stores and Advances				
30	Construction Stores				
31	Advances				
32	f) Investments				
33	Current Assets, Loans and Advances				
34	a) Inventories				
35	b) Sundry Debtors				
36	c) Cash & Bank Balances				
37	d) Other Current Assets				
38	e) Loans & Advances				
39	Less. Current Liabilities & Provisions				
40	a) Liabilities				
41	b) Provisions				
42	Net Current Assets				
43	Miscellaneous Expenditure (to extent not written off or adjusted)				
44	Contingent Liabilities				

**FORM 102 : CORPORATE PROFIT & LOSS ACCOUNT AS OF 31st MARCH**

Financial Year:		Name of the Company			
Instructions: Provide a summary of the audited Profit & Loss Account with the following breakdown: (1) Income/expenses related directly to the Power Plants; (2) Income /expenses incurred at the Corporate level.					
S.no	Particulars	Income/ Expenses related directly to ALL the Power Stations  (Lakhs) (1)	Common Corporate Income/ Expenses (Allocable to Power Business)  (Lakhs) (2)	Other Corporate Income / expenses (non power business) and not allocable  Lakhs(3)	GRAND TOTAL  (Lakhs) (4=1+2+3)
1	<b>INCOME</b>				
2	Energy sales at Notified Rates				
	I Base Amount				
	a. Fixed Charges				
	b. Variable Charges				
	c. Fuel Adjustment Charges				
	ii Incentive Amount, if any				
	iii. Others to be specified				
3	Energy sales if any at provisional rates				
	I Base Amount				
	a. Fixed Charges				
	b. Variable Charges				
	c. Fuel Adjustment Charges				
	ii Incentive Amount (if any)				
	iii. Others to be specified				
4	Electricity Duty				
5	Consultancy, project management, supervisory fees				
6	Provision Written Back				
7	Other Income				
8	<b>TOTAL</b>				
9	<b>EXPENDITURE</b>				
10	Fuel Charges -Primary Fuel(to be specified)				
11	- Secondary Fuel(to be specified)				
12	Generation, Admin , & Other Expenses				
13	Depreciation				
14	Prior Period Adjustment (Net)				
15	Less: Incidental Exp. during Construction transferred to Capital Work-In-Progress				
16	Electricity Duty				
17	Deferred Revenue Expenditure Written Off				
18	<b>Provisions</b>				
19	Profit (before Interest & Finance Charges)				
20	Interest and Finance Charges				
21	Less Interest and Finance Charges Transferred to Capital Work-In-Progress				
22	Profit for the Year (before Tax)				
23	Provision for Taxation				
24	Profit After Tax				

FORM 103-A: OVERALL PROFIT & LOSS ACCOUNT BREAKDOWN BY POWER STATIONS										
Financial Year:			Name of the Company							
Instructions Provide, in column(3), the energy production during the Financial Year, including the energy production recorded prior to the entry into commercial operation of a Power Station considered										
Profit & Loss Account - Summary										
S NO	Corporate Aggregated and Name(s) of Power Plant/Stations	Energy Produced	Energy Sold	Revenue from Energy Sales/ Other income /consultancy etc	Fuel Charges less transferred to CWIP	Gen . Admin & Other Exp less transfer to CWIP	Depreciation less transferred to cwp	Profit Before Interests and Taxes	Interest and Fin Charges less transfer to CWIP	Provision for Tax
(1)	(2)	(MU) (3)	(MU) (4)	(Lakhs) (5)	(Lakhs) (6)	(Lakhs) (7)	(Lakhs) (8)	(Lakhs) (9)	(Lakhs) (10)	(Lakhs) (11)
1	Corporate -Total 1(a) to 1 (c)									
1(a)	All Power Stations - Direct									
1(b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to Stations									
1(c)	Common-corporate(Non Power Business) & unallocable									
2	Name(s) of Station / power plant etc	POWER STATION WISE BREAK DOWN OF ABOVE ITEMS (POWER STATION- DIRECT PLUS COMMON CORPORATE- POWER BUSINESS) OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT SUMMARY								
2.1 Name of Station / power plant										
2.1 (a)	Power Station - Direct									
2.1 (b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to this Station									
2.2 Name of Station / power plant										
2.2 (a)	Power Station - Direct									
2.2 (b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to this Station									
TOTAL (2)										

**FORM 103-B: OVERALL ASSETS AND LIABILITIES BREAKDOWN BY POWER STATIONS**

Financial Year:		Name of the Company						
<b>Instructions :</b> The information is required for ALL the Power Stations, including any station for which capital-work-in-progress is recorded in the Books								
<b>Balance Sheet - Summary</b>								
S.NO	Corporate Aggregated and Name(s) of Power Plant/Stations	Shareholders' Funds	Loan Funds	Gross Block	Net Block	Capital-Work-in-Progress	Current Assets, Loans and Advances	Current Liabilities and Provisions
(1)	(2)	(Lakhs) (3)	(Lakhs) (4)	(Lakhs) (5)	(Lakhs) (6)	(Lakhs) (7)	(Lakhs) (8)	(Lakhs) (9)
1	Corporate -Total 1(a)to 1(c)							
1(a)	All Power Stations - Direct							
1(b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to Stations							
1(c)	Common-corporate(Non Power Business) & unallocable							
2	Name(s) of Station / power plant etc	POWER STATION WISE BREAK DOWN OF ABOVE ITEMS (POWER STATION -DIRECT PLUS COMMON CORPORATE- POWER BUSINESS) OF BALANCE SHEET SUMMARY						
2.1	Name of Station / power plant							
2.1 (a)	Power Station - Direct							
2.1 (b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to this Station							
2.2	Name of Station / power plant							
2.2 (a)	Power Station - Direct							
2.2 (b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to this Station							
TOTAL (2)								

## 104-A : LOANS DETAILS SUMMARY

Financial Year:		Name of the Company:						
Instructions: Loan/Long-term debt including working capital loan details shall not be amalgamated and existing vs. new loans related to the same lender shall be shown separately.								
No.	Loan Name and References -->		Loan/Bond 1	Loan/Bond 2	Loan/Bond 3	Loan.....	Loan.....	Total
	Secured/ Unsecured							
a	Balance at the beginning of the year	(Lakhs)						
b	Add Additions during the year	(Lakhs)						
c	Adjustments during the year on Account of :	(Lakhs)						
	i. Exchange Rate Variations							
	ii. Other Adjustments							
d	Less Repayments during theyear	(Lakhs)						
e	Adjustments during the year on Account of :	(Lakhs)						
	i. Exchange Rate Variations							
	ii. Other Adjustments							
f	Total at the end of the year	(Lakhs)						
(If out of the above, foreign Currency loans are involved, figures in foreign currency may also be stated in bracket alongwith Indian Rupees )								
			Break up Amount of Loan at the end of year (Amount referred at (f) above)					
1	Corporate - Total [1(a) to 1(c)]	(Lakhs)						
1(a)	All Power Stations - Direct	(Lakhs)						
1(b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to Stations	(Lakhs)						
1(c)	Common-corporate(Non Power Business) & unallocable	(Lakhs)						
2 Name(s) of Station / power plant etc			POWER STATION WISE BREAK DOWN OF 1(a) plus 1 (b)(POWER STATION- DIRECT PLUS COMMON CORPORATE- POWER BUSINESS) OF OUTSTANDING LOAN					
2.1 Name of Station / power plant								
2.1 (a)	Power Stations - Direct	(Lakhs)						
2.1 (b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to this Station	(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
2.2 Name of Station / power plant								
2.2 (a)	Power Station - Direct							
2.2 (b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to this Station							
2.2 Name of Station / power plant								
2.2 (a)	Power Station - Direct							
2.2 (b)	Common-corporate(Power Business) &							
TOTAL (2)			(Lakhs)					

**FORM 104-B : FINANCE AND INTEREST CHARGES DETAILS AND ASSIGNATION BY POWER PLANT AND SUMMARY**

Financial Year:

Instructions: Interest and financing charges on Loan/Long-term debt details including working capital loans shall not be amalgamated and existing vs. new loans related to the same ledger shall be shown separately. Adjustments etc on account of Foreign Exchange Variations, if any, may be shown separately

No.	Loan Name and References -->		Loan/Bond 1	Loan/Bond 2	Loan/Bond 3	Loan.....	Loan.....	Total
	Secured/ Unsecured							
a	Interest and Fin Charges Accrued and Due	(Lakhs)						
b	Interest and fin charges Accrued but not due	(Lakhs)						
c	sub total (a) +(b )	(Lakhs)						
d	Transferred to CWP out of ( c ) above	(Lakhs)						
e	Total charged to profit and loss Account ( c - d) above	(Lakhs)						
f	Interest and Finance Charges Paid Actually	(Lakhs)						
<b>Break up Amount of Interest and Finance Charges (Amount referred at (e) above</b>								
1	Corporate -Total[1(a) to 1(c)]	(Lakhs)						
1(a)	All Power Stations - Direct	(Lakhs)						
1(b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to Stations	(Lakhs)						
1(c)	Common-corporate(Non Power Business) & unallocable	(Lakhs)						
2	Name(s) of Station / power plant etc	POWER STATION WISE BREAK DOWN OF 1(a) plus 1 ( b)(POWER STATION- DIRECT PLUS COMMON CORPORATE- POWER BUSINESS)						
2.1 Name of Station / power plant								
		(Lakhs)						
2.1 (a)	Power Station - Direct	(Lakhs)						
2.1 (b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to this Station	(Lakhs)						
2.2 Name of Station / power plant								
2.2 (a)	Power Station - Direct	(Lakhs)						
2.2 (b)	Common-corporate(Power Business) & Allocable to this Station	(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
		(Lakhs)						
<b>TOTAL (2)</b>		(Lakhs)						

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

## FORM 104-C LOANS AND BONDS: TERMS AND CONDITIONS

FINANCIAL YEAR:		NAME OF THE COMPANY				
<b>Instructions:</b> i. This form - requires detailed terms and conditions of the loans, identified in form 104-A , as originally tied up and outstanding as at the close of the financial year. ii. Specific information on the terms and conditions identified under column 2 is to be given for various loans against row (a) to (l) under column (3) (a) etc iii. Remarks column may be used to indicate the subsequent changes in the terms and conditions, if any, in the loans and facts such as whether the loans are station/project specific or accounted for a group of projects/stations at the corporate level and the basis of allocation of such loans to the station/project iv. The identified terms and conditions in col(2) are illustrative and not exhaustive and information under col(3) may be provided where applicable and necessary. v. Similar formats may be used for unsecured loans and bonds with mutatis and mutandis changes in col (2)						
Terms and conditions of Loans		Specific particulars on terms and conditions identified in col(2) of various loans				Remarks
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	(3d)	(4)
a	Title and Source of Loan					
b	Designated Currency of Loan					
c	Exchange Rate Used (If Foreign Currency Loans)					
d	Amount in Foreign Currency (In case of foreign currency loans)					
e	Amount of Loan (In Indian Rupees)					
f	Date(s) When Drawn					
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
g	Amount(s) Drawn					
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
h	Period of Moratorium/Grace					
i	Moratorium to commence from					
j	Repayment Details					
	i. To Commence from					
	ii. No of Instalments					
	iii. Amount of instalment					
	iv. Nature of Repayment					
k	Rate of Interest					
	i. Basic rate					
	ii. Periodicity of compounding					
	iii. Penal Interest Rate					
l	Elements of Financing and Issue Charges					
	i. Commitment Fees					
	ii. Upfront Fees					
	iii. ECA Premium					
	iv. Others (to be Specified)					



147207/2007-5

FORM 105 : COMMON AND CORPORATE COST ALLOCATION METHOD DESCRIPTIONS											
Financial Year:		Fy....		Name of the Company							
<b>Instructions:</b> The information and methods used to allocate the corporate and common items of expense/income and assets and liabilities shown in the Balance Sheets or Profit & Loss Accounts must be described using the following format. See also note at the end of format.											
Description of the Allocation Method and Allocation Factors:											
Sno (1)	Item for allocation (2)	Schedule Form Reference (3)	Basis of Allocation (4)	Unit (5)	Allocator Factors (reckoned on the basis of allocation basis described in col (4)) used for allocation to various operating stations and construction projects (6)						
					Operating Stations 6-a				Construction Projects 6-b		
					Station ....	Station	Station	Station	Project .....	Project....	Project .....
1	Salaries and Wages	Form 102	No of Employees	number	1234	234	678	789	23	78	90
2	Common Expenses of Construction and operation projects as under	Form 102	Ratio of Capital Cost to Sales	Value of sales and capital cost in Rupees	2345678	5678907	345678	12345678	89078	90887	90178
	a. Repairs and Maintenance										
	b. Salaries and Wages										
	c. Rent										
	d. ....										

Note: The figures indicated are examples to enable understanding of the informational requirements and may be replaced by actual details..

## FORM:106 :LIST OF SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND BALANCE SHEET FOR CORPORATE AND STATION FINANCIAL DATA TO BE FURNISHED

Financial year : FY.....

Name of the Company: \_\_\_\_\_

Instructions: The nomenclature of schedules referred to in col (2) is illustrative and not exhaustive. Actual nomenclature may be used to provide details of the items generally covered in the named schedules in col(2). Schedules specific to companies but not covered in col (2) or for which details have not been called for elsewhere may be added and details at the appropriate level provided.

S No (1)	Schedules of items in P&L A/c and Balance Sheet relating to (2)	At Corporate Level (3)	At Power Station Level (4)	Remarks (5)
1	Capital	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided
2	Reserve and Surplus	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided
3	Inter Unit Accounts	●	●	Financial Account wise summary of transactions effected through these accounts may be provided.(Refer to form 11 of part -II)
4	Inter Unit Cash Credit Accounts		●	Financial Account wise summary of transactions effected through these accounts may be provided.(Refer to form 11 of part -II)
5	Fixed Assets (Consolidated)	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided with groupings as per depreciation rates
6	Fixed Assets - Power Station	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided with groupings as per depreciation rates
7	Fixed Assets - Office Complex	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided with groupings as per depreciation rates
8	Fixed Asset - Township Assets	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided with groupings as per depreciation rates
9	Capital Work-In-Progress - Power Station	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided
10	Capital Work-In-Progress - Office Complex	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided
11	Capital Work-In-Progress - Township Assets	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided
12	CWIP - Incidental Exp during Construction	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided
13	Construction Stores & Advances	●	●	Break up of major items may be provided.
14	Investments	●	●	The Investment Gains/(Losses) shall be reported as well as their allocation to the Power stations if any
15	Current Assets, Loans and Advances	●	●	Break up of major items may be provided
16	Current Liabilities and Provisions	●	●	Break up of major items may be provided
17	Miscellaneous Exp. (written off or adjusted)	●	●	Break up of major items may be provided
18	Contingent Liabilities	●	●	References or evidences to the amount disputed or claims against the Company/Power Plant shall be
19	Provisions Written Back	●	●	Break up of major items may be provided.
20	Other Income	●	●	Provide major itemwise break up including billings for surcharge /penalties for late or non payment(if included) and in case if any item is net of expenses the major break up of expenses may also be given
21	Generation, Administration, & Other Exp	●	●	Complete breakdown by sub-accounts at corporate level shall be provided
22	Provisions	●	●	Break up of major items may be provided.
23	Interest and Finance Charges	●	●	Complete and detailed Break up by each sub head if not provided elsewhere
24	Capital-Work-In-Progress, IEDC	●	●	Complete breakdown by sub-accounts shall be provided
25	Foreign Exchange Variations	●	●	Complete Details to be provided if not provided elsewhere
25	Prior Period Adjustments	●	●	Break up of major items to be provided. If adjustments pertain to more than one previous year yearwise break up for major items may be provided
26	Notes on Accounts	●	●	To be furnished if not provided elsewhere
27	Any other schedule (to be specified)	-	-	Refer to instructions above

Note : The requirements of details at various levels is indicated by the dots in col (3) and (4)

**PART IV**

**ANNUAL INFORMATION REQUIREMENTS**  
(to be completed for each single Power Station / Stage of the Company)

**POWER STATION FINANCIAL AND OPERATIONAL DATA**

**Filing Reference:**

**Financial Year:**

**Name of the Company:**

**NAME OF THE POWER STATION:**

**LIST OF FORMS, SCHEDULES, SUPPORTING DOCUMENTS, AND EVIDENCES SUBMITTED FOR  
WITH THE ANNUAL REPORT**

<b>Name of the Company:</b>
<b>Name of the Power Station</b>

<b>Case No.:</b>
------------------

<b>Financial Year:</b>
------------------------

Form Nos	Title of the forms	Page Reference
000	LIST OF SUPPORTING EVIDENCES(to be listed)  POWER STATION	
1	POWER STATION GENERAL INFORMATION	
2	POWER STATION BASIC INFORMATION AND TECHNICAL CHARACTERISTICS	
3	POWER STATION BALANCE SHEET AS ON 31 <sup>st</sup> MARCH	
4	POWER STATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 <sup>st</sup> MARCH	
4-A	POWER STATION EXPENDITURE ASSIGNATION	
5	POWER STATION MONTHLY FINANCIAL ACCOUNT DATA	
6	LOAN AND INTEREST RELATED TO THE POWER STATION	
7	POWER STATION MONTHLY OPERATING DATA	
8	MONTHLY POWER STATION QUALITY OF THE SUPPLY	
9	POWER STATION MONTHLY FUEL CONSUMPTION DATA	
10	INFORMATION ON ENVIRONMENTAL MATTERS	
11	NOTES ON INTER-UNIT ADJUSTMENTS	

<b>LIST OF SUPPORTING EVIDENCES</b>		
<b>Name of the Company:</b>		
<b>Name of the Power Station</b>		
<b>No.</b>	<b>References or Description of the Evidence Submitted</b>	<b>Evidence No.</b>
Each Evidence submitted shall be identified by the FORM or Schedule to which it relates followed by a number (of three digits) referring of the evidence number.		
Evidence No.: X - X.x - 009 - Evidence refering to the Schedule X, sub-section X.x, Evidence Number 009.		
0	Ex.: Income related to Consultancy Services provided to MPPXXX for	12b/01/005
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

FORM 1 : Power Station GENERAL INFORMATION	
Financial Year:	Name of the Company
NAME OF THE POWER STATION:	
Give particulars (details) concerning the matters indicated below. Make the statements explicit and precise, and number them in accordance with the inquiries. Each inquiry should be answered. Enter "none", "not applicable", or "NA" where necessary.	
	Evidence No
1. Important Notes or Changes During the Financial Year	
1.1 References to new notifications from Government bodies which in the opinion of the company at the time of filing 'annual filing report' are material and relevant to their business. Give a brief description of the notification and indicate how it affects the applicant's operations. Provide the references and submit the new notifications along with the Evidences.	
1.2 Changes in articles of incorporation or ownership: Report below all changes in the ownership structure, with the name of all corporations, or similar organisations, controlled directly or indirectly by respondent.	
1.3 Other legal changes or proceedings: Give changes in and materially important legal matters or rights of the applicant, which in the opinion of the company, at the time of filing 'annual filing report' would have an impact on the tariff.	
1.4 Purchase or sale associated to the plant under consideration: Give details such as a brief description of the property, name of the body authorising the transaction, and reference of the authorisation, amount with break up of purchase consideration paid or received, details of party with whom transaction entered etc.	
1.5 Extension (including renovation & modernisation) or reduction of the plant or its related facilities: Provide brief description of only major items of addition or deletion to capital expenditure accounted for in form 101 (relating to fixed assets), which in the opinion of the company could materially affect the operational efficiency.	
1.6 New unit(s) under construction: Provide a description of the status of the projects undergoing, their schedules and progress realised, anticipated date of commercial operation of the different stages of the project/unit additions, to facilitate co-relation of information provided on expenditure on construction projects in various plant balance sheet and profit and loss accounts.	
1.7 Environmental Matters : As per form 10	
1.8 Any Other general information, which in the opinion of the company may have an impact on tariff and which the CERC must be aware of.	
2. Accounting Policies and Auditors' Certificate	
2.1 A statement on accounting policy and deviations, if any, therefrom and justifications therefor if not already provided elsewhere.	
2.2 A statement on notes to accounts if not already provided elsewhere and auditor's certificate as per para 15 of Section 6 of PART-1	

**FORM 2 : Power Station BASIC INFORMATION AND TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Financial Year: \_\_\_\_\_

**NAME OF THE POWER STATION:** \_\_\_\_\_

Location: \_\_\_\_\_ Region: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ District: \_\_\_\_\_

*Instructions: The identification of the Power Station given in 1.1 above must be unique, and used consistently across the Annual Information Filing Requirement. The data requested below is mandatory with the submission of the 1st Annual Information Filing Report, and shall be re-submitted whenever there is a change in the data.*

**1.2 Plant Basic Characteristics and Fuel Type**

Plant Basic Characteristics (see Note 1) \_\_\_\_\_  
 Fuel Type \_\_\_\_\_

**Demonstrated Capacity (based on Performance Tests) :** The data must be provided for each single Unit (with a turbo generator), starting with the Module 1 (or Stage 1)

**1.3**

Module (Block) Name or Number	Unit Number								
Date of Synchronisation									
Demonstrated Capacity at the date of synchronisation									
Date of entry into commercial									
Demonstrated Capacity at the date of entry into commercial operation									
Date of stabilisation									
Demonstrated Capacity at the date of stabilisation									
Rated Capacity									

**1.5 Type of Drive for Boiler Feed Pump (see Note 2)**

**1.6 Type of Cooling system for condenser (see Note 3)**

**1.7 Type of cooling system for electric generator (see Note 4)**

**1.8 Other Main Characteristics**

Note 1: Ex. for Coal Plant: (a) conventional steam generator, (b) circulating fluidized bed combustion generator, (c) sub critical once through steam generator, etc

Note 2: (a) motor driven, (b) steam turbine driven, other (describe) \_\_\_\_\_

Note 3: (a) once through cooling system, (b) closed cycle cooling using wet cooling tower, (c) other (describe) \_\_\_\_\_

Note 4: (a) air cooled, (b) water cooled, (c) hydrogen cooled, (d) other (describe) \_\_\_\_\_









FORM 4-A : Power Station EXPENDITURE ASSIGNATION												
Financial Year:												
NAME OF THE POWER STATION:												
Inst ruct												
Power Station Break Up (as far as possible)										Power Station Office Complex	Township	TOTAL (8+9+10)
No.	Particulars	Turbo Generator (Lakhs) (1)	Boiler (Lakhs) (2)	Water Treatment Plant (Lakhs) (3)	Switchgear / Electrical Facilities (Lakhs) (4)	Instrument and Control (Lakhs) (5)	Fuel Handling and Storage (Lakhs) (6)	Other systems (Lakhs) (7)	Total of Items (1to7) (Lakhs) (8)	(Lakhs) (9)	(Lakhs) (10)	(Lakhs) (11)
1	EXPENDITURE											
2	Employee Cost											
3	Repairs & Maintenance											
4	Buildings											
5	Plant & Machinery											
6	Power Station											
7	Construction Equipment											
8	Sub-Total (4+6+7)											
9	Other Expenses											
10	Power Charges (less portion re											
11	Stores Consumed											
12	Training & Recruitment Exp.											
13	Inland Travel											
14	Security Expenses											
15	Education Expenses											
16	Insurance											
17	Miscellaneous Expenses											
18	Number of Employees											
19	Executives											
20	Supervisors											
21	Workmen											

[अध्याय III - अनुसूची 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण



FORM 6 : LOAN AND INTEREST RELATED TO THE Power Station									
Financial Year:									
<b>NAME OF THE POWER STATION:</b>									
<i>Instructions : Loan/Long-term debt details shall not be amalgamated, i.e. existing vs. new loans related to the same lender shall be shown separately.</i>									
Loan/Bond Identification Number -->									TOTAL
No.	Loan Name/References Secured/ Unsecured-->								
<b>LOAN DETAILS</b>									
1	Currency x Denomination								
2	Foreign Exchange Rate @ the time of issue								
3	Total at the Beginning of the FY (Forex)								
4	Principal Repay/Buy Back during the FY (Forex)								
5	Total at the End of the FY (Forex)								
6	Total at the Beginning of the FY		(Lakhs)						
7	Principal Repay/Buy Back during the FY		(Lakhs)						
8	Total at the End of the FY (6-7)		(Lakhs)						
9	Total Adjustment on Loan due to Forex		(Lakhs)						
10	Total Adj. on Loan Transferred to CWIP		(Lakhs)						
<b>INTEREST AND FINANCE CHARGES DETAILS</b>									
11	Interest and Finance Charges Payable		(Lakhs)						
12	Finance Charges		(Lakhs)						
13	Interest Charges Accrued and Paid		(Lakhs)						
14	Interest Charges Due and Arrears		(Lakhs)						
15	Less: Transferred to CWIP		(Lakhs)						
16	Total (12+13+14-15)		(Lakhs)						



CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

FORM 8 : MONTHLY Power Station QUALITY OF SUPPLY											
Financial Year:											
NAME OF THE POWER STATION:											
<b>Instructions:</b> Refer to the Annual Filing Requirements Instruction for the definitions and calculation of the various operating parameters.											
Month	Percentage of the time when the frequency varies between the limits indicated, during loading condition			Percentage of the time when the voltage varies between the limits indicated, during loading condition			Monthly Peak Demand Recorded	Plant Load Factor on the Recorded Peak Demand	Plant Load Factor on the Rated Capacity	Weighted Average Availability	Makeup Water Consumption
	48.5 Hz and 49.5 Hz	49.5 Hz and 50.5 Hz	50.5 Hz and 51.5 Hz	0.90 pu and 0.95 pu	0.95 pu and 1.05 pu	1.05 pu and 1.10 pu					
	(Hz)	(Hz)	(%)	(kV)	(kV)	(%)					
<b>Power Station</b>											
April											
May											
June											
July											
August											
September											
October											
November											
December											
January											
February											
March											
<b>TOTAL</b>											

FORM 9 : Power Station MONTHLY FUEL CONSUMPTION DATA												
Financial Year:						Name of the Company						
<b>NAME OF THE POWER STATION:</b>												
Instruction: Fuel analysis as per BIS standards providing the data such as the moisture content, ash content, carbon content, sulphur content, hydrogen, oxygen, etc., shall be provided concurrently to any addition of fuel to the inventories as evidences. The total of the monthly data should add up and correspond to the annual figures.												
Note 1 : Fuel Source Name: Indicate by using a separate row if needed, each type of fuel consumed at the Power Station, and indicate imported fuels.												
Month	PRIMARY FUEL						SECONDARY FUEL/ALTERNATE FUEL					
	Fuel Name (re. Note 1)	Total Fuel Consumption	Gross Calorific Value (re. Definitions)	Net Calorific Value (re. Definitions)	Additions to Inventories	Specific Fuel Consum. based on GCV	Fuel Name (re. Note 1)	Total Fuel Consumption	Gross Calorific Value (re. Definitions)	Net Calorific Value (re. Definitions)	Additions to Inventories	Specific Fuel Consum. based on GCV
		(Tons)/t.o.um	(kCal/kg)/ kcal/t.o.um	(kCal/kg)	(Tons)	(kg/kWh)		(ML)	(kCal/L)	(kCal/L)	(ML)	(ml/kWh)
<b>DETAILS OF FUEL CONSUMPTION FOR COAL BASED POWER PLANTS</b>												
April												
May												
June												
July												
August												
September												
October												
November												
December												
January												
February												
March												
<b>DETAILS OF FUEL CONSUMPTION FOR OPERATION IN SIMPLE CYCLE MODE</b>												
April												
May												
June												
July												
August												
September												
October												
November												
December												
January												
February												
March												
<b>DETAILS OF FUEL CONSUMPTION FOR OPERATION IN COMBINE CYCLE MODE, WHERE APPLICABLE</b>												
April												
May												
June												
July												
August												
September												
October												
November												
December												
January												
February												
March												



<b>FORM 10 : INFORMATION ON ENVIRONMENTAL MATTERS AND ITS RELATED ISSUES</b>	
Name of the company	Financial Year
NAME OF THE POWER STATION:	

**A. Details of Equipment, Machinery and Other Capital Assets related to environmental issues**

No. (1)	Name of the Equipment etc (2)	Amount Included in Approved Cost Estimates of CEA (As reckoned for tariff) (3)	Amount Actually incurred on the Equipment etc (4)	Reasons for Deviations between col(3) and Col(4) (5)	Impact (to be quantified) ,if any, of reasons identified in col(5) on emission levels etc achieved against standards (6)

- B** Whether the equipments listed under (A) above were in operation throughout the year . If not list the reasons therefor along with extent of duration when the equipments etc were out of operation.
- C** Enclose copies of the applicable Govt and Quasi Govt approvals / clearances relating to environmental issues
- D** Enclose copies of inspection report / certificates, issued by competent enforcement agencies of Central and State Govts.
- E** List details as to time ,duration and reasons for instructions, if any, issued by environmental enforcement agency for partial or complete shutdown.
- F** Spell out details of corrective action taken to overcome the causes for such partial or complete shutdown referred to in (E) above.
- G** Details of particulate and gaseous emission levels shall be furnished as a range for each month

